प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील सं. 169–170 वर्ष 2022

(एसएलपी (सी) सं. 11596–11597 वर्ष 2020 से उद्भूत)

उ.प्र. राज्य द्वारा

सचिव (आबकारी) एवं अन्य

.... अपीलार्थी (गण)

बनाम

एम/एस मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड

.... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

विषयवस्तु

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा 2

प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमिः आग की घटना और नष्ट हो गई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग..... 6

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आग से पहले..... 6

आग की घटना और प्रासंगिक रिपोर्ट..... 8

आग में नष्ट शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग..... 11

उच्च न्यायालय में रिट याचिका और उसमें अंतरिम आदेश..... 17

10.04.2017 और 06.11.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश : उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी और परिणामी आदेश पारित किए..... 18

विरोधी तर्क 21

निर्धारण के लिए प्रश्न..... 33

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान..... 34

क्या प्रश्नगत मांग विधि द्वारा अधिकृत है? 41

क्या प्रतिवादी कंपनी आग में नष्ट हो गई शराब पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है..... 49

डिस्टिलरी और गोदाम पर विभाग का नियंत्रणः प्रभाव..... 50

लापरवाही 52

दैवीय कृत्य.....56

अपरिहार्य दुर्घटना.....61

अन्तर्निहित लापरवाही.....63

प्रतिवादी कंपनी ही उत्तरदायी 65

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बीमा कवरेज केवल शराब के मूल्य का : प्रभाव..... 70

सारांश..... 74

निष्कर्ष..... 75

<u>प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा</u>

अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश राज्य और आबकारी विभाग से संबंधित इसके अधिकारियों के साथ –साथ जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर ने अनिवार्य रूप से विविध बेंच सं. 4493 वर्ष 2006 के मामले में 10.04.2017 दिनांकित आदेश पर सवाल उठाया है जिसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ[1] ने आग में नष्ट हुई शराब से हुए आबकारी राजस्व क्षति के लिए याचिकाकर्ता कम्पनी (वर्तमान मामले में प्रतिवादी) के विरुद्ध उठायी गयी मांग को रद्द कर दिया। अपीलार्थी ने सि .प्र. सं. 90936 वर्ष 2019 में दिये गये 06.11.2019 दिनांकित आदेश पर भी सवाल उठाया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 2 (आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश[2]) को निर्देश दिया कि वह उक्त रिट याचिका में दिये गये आदेश के अनुसरण में रिट

1एतश्मिनपश्चात् "उच्च न्यायालय" के रूप में भी संदर्भित।

2एतश्मिनपश्चात् "आबकारी आयुक्त" के रूप में भी संदर्भित।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गयी राशि की वापसी के आवेदन पर शीघ्र अंतिम निर्णय ले।

3. इस मामले में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, हम आगामी चर्चा के संदर्भों को इंगित करने के लिए मामले की एक संक्षिप्त रूपरेखा दे दें।

3.1 इस मुकदमे की शुरूआत आगजनी की एक घटना से हुई जो 10.04.2003 को प्रतिवादी कंपनी की डिस्टिलरी के एक गोदाम में घटी। इस आग में विभिन्न ब्रांडों के इंडियन मेड फॉरेन लिकर[3] के 35,642 केस नष्ट हो गए। इस आरंभिक रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद कि आग संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, विभाग ने प्रतिवादी कंपनी से शराब के इस तरह के नष्ट होने के कारण हुए आबकारी शुल्क क्षति को वसूलने का प्रस्ताव दिया। प्रतिवादी ने कहा कि इसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी और इसलिए, उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर नियम, 1969[4] के नियम 7 (11) और उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली[5] के नियम 709 तहत उत्पाद शुल्क के कथित नुकसान की वसूली का कोई मामला नहीं बनता है।

3.2 हालांकि, आबकारी आयुक्त ने अपने 11.07.2006 दिनांकित आदेश द्वारा, प्रतिवादी के कथन को खारिज कर दिया और शराब नष्ट होने के कारण हुए उत्पाद शुल्क के नुकसान के लिए रु. 6,39,32,449.44 की माँग की। तदनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर ने प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर राशि जमा करने के लिए कहा।

3संक्षेप में 'आईएमएफएल'

4 एतश्मिनपश्चात् " नियमावली 1969" के रूप में संदर्भित

5एतश्मिनपश्चात् 'आबकारी नियमावली' के रूप में संदर्भित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3.3 पूर्वोक्त मांग और वसूली के कदमों को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी–कंपनी ने एक रिट याचिका[6] दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने 25.07.2006 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी कंपनी (रिट याचिकाकर्ता) के द्वारा 3 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की शर्त पर कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका को इस न्यायालय ने 14.08.2006 को खारिज कर दिया। इसके बाद, दिनांक 21.08.2006 को, प्रतिवादी कंपनी ने 3 करोड़ रुपये की उक्त राशि जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर के पास जमा कर दिया।

3.4 प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 10.04.2017 दिनांकित अपने आदेश द्वारा अनुमति दी गई, अनिवार्य रूप से इन निष्कर्षों के साथ कि नियम 1969 का नियम 7 (11) (ए) इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि आईएमएफएल की बॉटलिंग और भंडारण के संचालन में कोई बर्बादी नहीं हुई थी; यह कि आबकारी नियमावली का नियम 709 लागू होता जिसके लिए लापरवाही दर्शाया जाना था; यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के किसी ठोस सबूत के बिना अनुमानों पर आधारित था; और यह कि *'घटना दैवीय कृत्य के अलावा कुछ नहीं* 'थी। उच्च न्यायालय ने तदनुसार आबकारी राजस्व के कथित नुकसान की मांग और वसूली के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। तत्पश्चात, रिट याचिका में अंतरिम आदेश के अनुसार जमा की गई राशि को वापस करने में विभाग के विफल रहने के कारण, प्रतिवादी कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया, जिस पर 06.11.2019 दिनांकित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को चार सप्ताह के भीतर रिफंड के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

---

6 प्रकीर्ण बेंच सं. 4493 2006

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3.5 जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10.04.2017 और 06.11.2019 दिनांकित पूर्वोक्त आदेशों पर इन अपीलों में सवाल उठाए गए हैं। अपीलार्थी का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि विचाराधीन घटना दैवीय कृत्य था न कि प्रतिवादी की ओर से लापरवाही का। अपीलार्थी ने यह कहने के लिए नियम 1969 के नियम 7 (11) (ए) और आबकारी नियमावली के नियम 708 और 709 का अवलंब लिया है कि प्रतिवादी कंपनी आग में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर देय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी है। बीमा कवरेज के प्रभाव से संबंधित एक सहायक पहलू, केवल शराब के मूल्य का, और प्रतिवादी कंपनी द्वारा बीमा दावा प्राप्त करना भी उठाया गया है। *इसके विपरीत,* यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में उत्पाद शुल्क के दावे को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विधि द्वारा अधिकृत नहीं है और यह कि प्रतिवादी आग में नष्ट हुए आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, खासकर जब इसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।

4. पूर्वगामी रूपरेखा से संकेत मिलता है कि इस मामले में केंद्र बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी आग में नष्ट शराब पर आबकारी शुल्क लगाने का हकदार हैं , और तदनुसार, प्रतिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? जैसा कि इस केंद्र बिंदु के संबंध में, तीन प्रमुख प्रश्नों को निर्धारण की आवश्यकता होगी, जैसा कि देखा गया।

<u>प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमिः आग की घटना और नष्ट हुई शराब पर आबकारी शुल्क की मांग</u>

5. इसमें शामिल प्रश्नों के संबंध में, हम प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं, विशेष रूप से प्रतिवादी कंपनी के कामकाज से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रासंगिक और प्रश्नगत आसवनी और गोदाम की व्यवस्था के साथ–साथ आग की घटना और उत्पाद शुल्क की मांग, जिसके कारण वर्तमान मुकदमा किया गया है।

आग की घटना से पहले

6. प्रतिवादी कंपनी आईएमएफएल के विभिन्न ब्रांडों के आसवन, बॉटलिंग और वेंडिंग के व्यवसाय में लगी है। इन गतिविधियों के उद्देश्य से, प्रतिवादी को फॉर्म पीडी–2 में डिस्टिलरी यूनिट रोजा, शाहजहाँपुर में पीने योग्य शराब के आसवन और निर्माण के लिए एक डिस्टिलरी स्थापित करने और चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया था और नियम 1969 के तहत फॉर्म एफएल–3 और एफएल–3 ए में आईएमएफएल के थोक विक्रय के लिए लाइसेंस भी दिया गया था। प्रतिवादी कंपनी वर्ष 1994 से लाइसेंस प्राप्त परिसर में काम कर रही थी।

7. हमें आसवन, बॉटलिंग और भंडारण की प्रक्रियाओं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन, रिकॉर्ड में पक्षकारों द्वारा विचाराधीन परिसर में विद्युत प्रतिष्ठानों और अग्निशमन उपायों से संबंधित लाए गये कुछ तथ्यों को उपयोगी रूप से देखा जा सकता है।

7.1 दिनांक 19.09.2002 को, सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार, शाहजहाँपुर क्षेत्र, शाहजहाँपुर, ने प्रतिवादी कंपनी के उक्त परिसर का आवधिक निरीक्षण करने के पश्चात, विद्युत प्रतिष्ठानों से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणी की :–

> "(क) भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रासंगिक नियमों को यहां किए गए पृष्ठांकन के सिवाय अनुपालन किया जा रहा था।
>
> (ख) बाद के पृष्ठ में उल्लिखित विवरण भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुसार नहीं हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसलिए, सुरक्षा के हित में, आपसे अनुरोध है कि आपको किसी भी अधिकृत इलेक्ट्रीशियन को लगाकर कमी को सुधारना चाहिए और भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुरूप अनुपालन के बाद एक महीने के भीतर रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

xxx xxx xxx

नियम 35 : यह पाया गया है कि 'चेतावनी' कुछ प्रमुख स्थानों पर नहीं लगी है। उसे लगाया/स्थापित किया जाना चाहिए।

नियम 61 (2): टर्बाइन के वितरण बोर्ड पैनल के एक बिंदु पर, अर्थ वायरिंग एक पतले तार से की गई है। इसलिए इसे हटा कर स्ट्रिप अर्थिंग की जानी चाहिए।"

(रेखांकन किया गया)

पूर्वोक्त के जवाब में, प्रतिवादी कंपनी ने अपने 23.09.2002 दिनांकित पत्र में कहा कि रिपोर्ट में बताया गया काम पूरा हो गया था।

7.2 उपरोक्त के अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्टिलरी में उत्पादन संयंत्र में कुछ संशोधन/उन्नयन कार्य किया गया था और उस संबंध में, आबकारी निरीक्षक, उत्पादन अनुभाग, रोजा डिस्टिलरी, शाहजहाँपुर ने अपने 26.12.2002 दिनांकित पत्र में प्रतिवादी को सलाह दी थी कि विद्युत और गैस वेल्डिंग कार्य पूरी सुरक्षा के साथ अग्नि सुरक्षा के मानक तरीके और आवश्यक अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करते हुए सावधानीपूर्वक निष्पादित किया जाए। उक्त आबकारी निरीक्षक ने प्रतिवादी को आगाह किया कि "*यदि आपकी लापरवाही के कारण ऐसा होता है तो आप राजस्व/अन्य नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे।*"

7.3 दिनांक 01.03.2003 को, फायर ब्रिगेड अधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय ने विचाराधीन परिसर का निरीक्षण करने के बाद 06.02.2003 से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

30.09.2003 के बीच की अवधि के लिए अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इस निरीक्षण में, फायर ब्रिगेड अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरण और अन्य अग्निशमन उपकरण सही स्थान पर थे और काम करने की स्थिति में थे, जिन्हें प्रतिवादी कंपनी के मुख्य अभियंता द्वारा फिर से भरा गया था। हालांकि, उपकरणों के रिफिलिंग और परीक्षण के संबंध में एक निर्देश दिया गया था और निम्नलिखित शब्दों में बेहतर अग्निशमन व्यवस्था के लिए फोम इंस्टॉलेशन का भी सुझाव दिया गया थाः–

> आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स (फायर एक्सटिंगुइशर) को रिफिलिंग से पहले फायर स्टेशन शाहजहाँपुर में परीक्षण किया जाना चाहिए।यह भी सुझाव दिया जाता है कि, अग्निशमन व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए, डिस्टिलेशन प्लांट में फोम इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए।इस सुझाव के साथ, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र 06.02.2003 से 30.09.2003 के बीच की अवधि के लिए दिया जाता है, क्योंकि उक्त फर्म ने 06.02.2003 को अग्निशमन विभाग को परीक्षण शुल्क जमा किया है। "

आग की घटना और प्रासंगिक रिपोर्ट

8. विचाराधीन परिसर में विद्युत प्रतिष्ठानों और अग्निशमन उपायों के संबंध में रिकॉर्ड की स्थिति पूर्वोक्त थी। हालांकि, 10.04.2003 को, प्रतिवादी कंपनी के एक गोदाम में आग लगने की घटना हुई,जिसके परिणामस्वरूप निर्मित आईएमएफएल के 35,642 केस नष्ट हो गए।

8.1 प्रतिवादी कंपनी का तर्क यह रहा है कि विचाराधीन गोदाम को 10.04.2003 को दोपहर 12:00 बजे भोजनावकाश के लिए डिस्टिलरी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक और कंपनी के प्रतिनिधि की संयुक्त लॉक और चाबी से बंद कर दिया गया था और उस समय, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखा गया था

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और स्टॉक सुरक्षित स्थिति में थे। हालांकि, लगभग 12:55 बजे, गोदाम से धुआं निकलता देखा गया।तत्पश्चात, डिस्टिलरी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित किया गया और संयुक्त ताले खोले गए और यह देखा गया कि आईएमएफएल के स्टॉक में आग लग गई थी। इस आग की जानकारी पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग और अन्य आबकारी अधिकारियों को भी दी गई थी। प्रकथन और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निशमन कर्मी 11.04.2003 को सुबह 5:00 बजे तक आग पर काबू पा सके।

9. यह माना जाता है कि प्रश्नगत घटना के बारे में जानकारी मिलने पर, उप आबकारी आयुक्त, बरेली, दिनांक 10.04.2003 को लगभग 06:30 बजे डिस्टिलरी पहुंचे और विभाग के अन्य अधिकारियों और प्रतिवादी कंपनी के प्रबंधक के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल निरीक्षण कर तैयार की गई अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में, उक्त डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने आग को नियंत्रित करने और आग बुझाने के प्रयासों पर ध्यान दिया, साथ ही शराब की पर्याप्त मात्रा में हुई क्षति पर भी ध्यान दिया और यह भी संकेत दिया कि इस आग के संभावित कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, उन्हें सूचित किया गया कि बिजली की आपूर्ति में शॉर्ट सर्किट के कारण ही ऐसा। अपीलार्थी के अनुसार, यहां तक कि संबंधित थाना प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिनांक 11.04.2003 को यह राय व्यक्त किया कि आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट था।

10. दिनांक 13.04.2003 को, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अग्निशमन अधिकारी ने भी घटना की रिपोर्ट तैयार की और आग को नियंत्रित किये जाने के प्रयासों का का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि आग का कारण अज्ञात था। इस रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा काउंटर हस्ताक्षरित, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है, निम्नानुसार हैः–

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"आग की सूचना मिलने पर, अग्निशमन सेवा इकाई घटना स्थल पर पहुंची। पहुंचने पर, यह देखा गया कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर के गोदाम का अगला हिस्सा बुरी तरह से आग में जल रहा था, जो रोसा कोठी, मैसर्स मैकडॉवेल कंपनी लिमिटेड, थाना–आर. _ _, जिला–शाहजहाँपुर में स्थित है, और आग एक भयानक स्थिति में थी, जिसे उपलब्ध उपकरण की मदद से मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा बुझाया जा रहा था, लेकिन आग उनके लिए नियंत्रण से बाहर थी। आग की भयानक स्थिति को देखने के बाद, तुरंत एक मोटर फायर इंजन में दो लाइनें लगाकर आग को नियंत्रित करने का काम शुरू किया, उसके तुरंत बाद दूसरा मोटर फायर इंजन कसबा–तिलहर से लाया गया। आग को बुझाने में अन्य इकाई ओसवाल रासायनिक उर्वरक और ओसीएफ ने भी मदद की, और पर्याप्त परिश्रम के बाद, डस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और जीवन को जोखिम में डालने के बाद और कई घंटों के बाद, आग को नियंत्रित/बुझाया गया। आग की जांच/निरीक्षण पर, यह पाया गया कि आग के कारण, गो–डाउन में रखी शराब नष्ट हो गयी थी। इसलिए, इस आग में भवन और शराब जोड़ने के बाद, कुल मिलाकर, स्टेशन अधिकारी के अनुसार, लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 1 करोड़ मूल्य की संपत्ति बचा ली गयी थी। आग लगने का कारण अज्ञात था।

इसलिए, पूरा काम पूरा करने के बाद, फायर सर्विस यूनिट यह निर्देश देने के बाद फायर स्टेशन में लौट आई कि अगर फिर से आग दिखती है, तो फायर स्टेशन को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। हम वापस फायर स्टेशन पर आ गए। "

(रेखांकित किया गया)

11. एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 02.08.2003 को सहायक आबकारी आयुक्त, रोजा डिस्टिलरी, शाहजहाँपुर द्वारा आबकारी आयुक्त को सौंपी गई, जिसमें बचा ली गयी शराब का हिसाब साथ ही आग में नष्ट हुए स्टॉक और आग के कारण पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उनकी टिप्पणियों का विवरण दिया गया। इस रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार उपयोगी रूप से निकाला जा सकता हैः

"(च) *आग का कारणः* आग की घटना के बाद मेरे द्वारा डिस्टलरी में एक विस्तृत जांच और निरीक्षण किया गया। पैरा (डी) में उल्लिखित सभी अधिकारियों ने भी पूछताछ की और मामले की विस्तार से जांच की। सभी जांच अधिकारी भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्विवाद रूप से आग लगने का कारण अज्ञात था। मेरी जांच और गणना कार्य के दौरान भी, मेरे ज्ञान में कोई तथ्य या सबूत नहीं आया, जो इंगित करता हो कि डिस्टिलर की ओर से या डिस्टिलरी में प्रतिनियुक्त आबकारी कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही थी। यह भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त घटना जानबूझकर उनमें से किसी ने की थी। वास्तव में, डिस्टिलर और एक्साइज स्टाफ ने आग की घटना के दौरान और बाद में बड़ी दक्षता और परिश्रम के साथ संयुक्त रूप से काम किया है। जिससे-----स्टॉक को क्षतिग्रस्त स्टॉक से बचाया जा सका था।

इस तथ्य की पुष्टि की गई, संयुक्त आबकारी आयुक्त की जांच दिनांक 30.04.2003, उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभारी, बरेली, की जांच दिनांक 10.04.03, फायर ब्रिगेड अधिकारी, की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.04.03 और थाना प्रभारी की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 11.04.03,जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं, से भी होती है। थाना प्रभारी की रिपोर्ट में घटना का कारण संभवतः बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण है।मैंने मलबे में जली हुई केबल भी देखी थी, लेकिन मेरी राय में कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह ऐसी घटना हो सकती है, जिसका कारण अज्ञात है।

डिस्टिलर स्तर पर, दिसंबर के महीने में, अग्नि सुरक्षा मानक के अनुसार उपकरण स्थापित किए गए थे और डिस्टिलरी फायर ब्रिगेड अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा पत्र संख्या 39/दिनांक 26.12.02 के संबंध में सुरक्षा आदेश पत्र संख्या मेमो/एफएस/दिनांक 1.03.03 दिए गए थे,और अच्छी स्थिति में उपकरण के होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। डिस्टलरी ने यूपी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कैबल स्थापना के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।

मेरे द्वारा 14.04.03 और 21.04.03 दिनांकित पत्र भेजे जाने के अनुरूप, आग की घटना के पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं के मद्देनजर, आग की घटना के दौरान और उसके बाद, क्षतिग्रस्त स्टॉक की गणना और आग की घटना के संभावित कारण पर चर्चा की गई।'

(रेखांकित किया गया)

आग में नष्ट हुई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग

12. इस तथ्य के मद्देनजर कि संग्रहीत शराब की पर्याप्त मात्रा आग में नष्ट हो गई और इसका परिणाम, अन्य बातों के साथ, उत्पाद शुल्क राजस्व के नुकसान के रूप में हुआ, आबकारी विभाग ने प्रतिवादी कंपनी से इस नुकसान की वसूली का प्रस्ताव दिया।

12.1 सर्वप्रथम, दिनांक 24.09.2003 को, सहायक आबकारी आयुक्त, रोजा डिस्टिलरी/शाहजहाँपुर द्वारा एक कारण बताओ नोटिस नंबर 463/CAA/रोजा डिस्टिलरी/शाहजहाँपुर प्रतिवादी कंपनी को जारी किया गया था, जिसमें नियम 1969 के नियम 7 (11) के मद्देनजर उत्पाद शुल्क की वसूली के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, क्योंकि प्रतिवादी कथित रूप से शराब के स्टॉक को सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रहा था। 01. 10. 2003 दिनांकित अपने प्रतिक्रिया पत्र में, प्रतिवादी कंपनी ने कहा कि उक्त आग की घटना के संबंध में उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी। नियम 1969 का नियम 7 (11) लागू नहीं होता और आबकारी नियमावली का नियम 709 केवल लापरवाही के मामले में लागू होगा, जो साबित नहीं हुआ था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12.2 आबकारी आयुक्त ने हालांकि, प्रतिवादी कंपनी से आबकारी शुल्क वसूलने का प्रस्ताव दिया और 27.11.2003 को सरकार के प्रमुख सचिव को निर्देश प्राप्त करने के लिए एक पत्र भेजा। उक्त प्रधान सचिव ने 17.02.2004 दिनांकित अपने प्रतिक्रिया पत्र में कहा कि आग में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर आबकारी शुल्क लगाने का प्रावधान आबकारी नियमावली के नियम 709 में किया गया है और इसके आधार पर आबकारी आयुक्त आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सक्षम था।प्रमुख सचिव ने अन्य बातों के साथ यह कहा कि–

> कृपया मेसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, रोजा, शाहजहाँपुर में 10.04.2003 की आग की घटना में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर आबकारी शुल्क लगाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर को दिए जाने वाले निर्देशों के संबंध में 27 नवंबर, 2003 के अपने पत्र संख्या जी–43/9–अल्कोहल/रोजा–आग की घटना का संदर्भ लें।
>
> 1. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने की सलाह दी गई है कि 10.04.2003 को मैकडावेल एंड कंपनी लिमिटेड, रोजा शाहजहाँपुर में उपरोक्त आग की घटना में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक में शामिल आबकारी शुल्क लगाने के संबंध में प्रावधान आबकारी नियमावली के नियम 709 में दिया गया है, जिसके आधार पर कार्य करने के लिए आप पर्याप्त सक्षम हैं।
>
> 2. उपरोक्त आग की घटना में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर आबकारी शुल्क लगाने के बारे में आपका प्रस्ताव ठीक है। कृपया जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं और 15 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करें।"

12.3 प्रधान सचिव से इस आशय का पत्र प्राप्त होने पर,आबकारी आयुक्त ने दिनांक 23.02.2004 को जिला मजिस्ट्रेट को नियम 1969 के नियम 7 (11) के तहत देय आबकारी शुल्क निर्धारित करने के लिए कहा। प्राधिकारियों की ओर से इस तरह के कदमों पर ध्यान देने के बाद, प्रतिवादी कंपनी ने अपने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

08.06.2004 दिनांकित आबकारी आयुक्त को संबोधित पत्र में विरोध करते हुए अनुरोध किया कि सक्षम प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या बिक्री के लिए शराब के पहुंचने से पहले ही आग के कारण नष्ट हुई आईएमएफएल पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है या नहीं। यह भी कहा गया कि निर्देश केवल आबकारी नियमावली के नियम 709 के संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं न कि नियम 1969 के नियम 7 (11) के अनुसार। आबकारी आयुक्त ने अपने 12.05.2005 दिनांकित पत्र में प्रतिवादी कंपनी से एक बिंदु–वार जवाब मांगा और इस पत्र का उत्तर 16.05.2005 को दिया गया, जिसमें प्रतिवादी कंपनी ने कहा कि आग की घटना मानव नियंत्रण से परे कारणों से हुई थी और वहाँ कंपनी की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई।

12.4 फिर भी, प्रतिवादी कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 05.06.2005 में कहा कि उनके पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र था , जो 03.09.2003 तक वैध था, यह कि उपयुक्त अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित किए गए थे; यह कि 19.09.2002 को बिजली सुरक्षा प्रमाण पत्र भी दिया गया था; यह कि एमसीबी स्थापित किए गए थे; यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि कंपनी की ओर से लापरवाही के कारण घटित दुर्घटना थी; और यह कि आबकारी शुल्क के संबंध में बीमा कराने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। पूर्वोक्त उत्तर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रधान सचिव, आबकारी को उनके पत्र दिनांक 29.06.2005 के साथ भेज दिया गया था। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने 27.12.2005 के अपने पत्र में कहा कि प्रचलित दरों पर आबकारी शुल्क राजस्व के हित में प्रतिवादी कंपनी पर लगाया जाना चाहिए।

13. संचार के पूर्वोक्त आदान –प्रदान का परिणाम आबकारी आयुक्त के 11.07.2006 दिनांकित आक्षेपित आदेश के रूप में हुआ जिसमें, आबकारी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राजस्व की हानि के लिए प्रतिवादी कंपनी से रू. 6,39,32,449.44 की राशि वसूल करने की मांग की गई। आबकारी आयुक्त ने, अन्य बातों के साथ, निरीक्षण रिपोर्टों पर अवलंब लिया और माना कि प्रतिवादी शराब की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। अच्छी गुणवत्ता के फायर–प्रूफ इलेक्ट्रिक उपकरण प्रदान नहीं करने की लापरवाही बरती थी और शराब का बीमा लिया था, लेकिन उत्पाद शुल्क का नहीं। विवाद की जड़ यह 11.07.2006 दिनांकित आदेश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

आबकारी आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

नंबर 7244/9–अल्कोहल/131/रोजा/आग की घटना इलाहाबाद

दिनांक–11.07.2006

<u>आदेश</u>

मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, रोजा, जिला शाहजहाँपुर एक पीडी–2 लाइसेंस प्राप्त डिस्टिलरी है। उपर्युक्त डिस्टलरी को उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स, 1969 के तहत FL–3 और FL 3A लाइसेंस दिया गया है और अपने ब्रांड और हरबार्टसन ब्रांड की भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बॉटलिंग करता रहा है।

दिनांक 10.04.2003 को, डिस्टिलरी के एफएल–3 और एफएल 3 ए गोदाम में आग लगने की घटना के कारण, विभिन्न ब्रांडों के भारतीय निर्मित विदेशी शराब के 35,642 (पैंतीस हजार छह सौ बयालीस) केस नष्ट हो गए। <u>जांच के दौरान, यह पता चला है कि मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड ने सीलबंद गोदाम में रखे गए इंडियन मेड फॉरेन लिकर का बीमा लिया था।डिस्टलरी को भी इसके लिए क्लेम मिला है।</u> एक कारण बताओ नोटिस सं. 463/CAA/रोजा डिस्टिलरी/शाहजहाँपुर दिनांक 24.09.2003 को सीलबंद गोदाम में रखी गई शराब के जलने के संबंध में मैक्डॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड को दिया गया था। <u>मेसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने 01.10.2003 दिनांकित स्पष्टीकरण में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा गया है कि आग की घटना दैवी घटना है और इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दिनांक</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10.04.2003 को, उप आबकारी आयुक्त बरेली द्वारा किए गए स्पॉट निरीक्षण के दौरान, प्रबंधक कार्मिक श्री अनुराग धवन ने कहा कि संभवतः बिजली की आपूर्ति में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। स्टेशन अधिकारी श्री राम चंद्र मिशन, जिला शाहजहाँपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिनांक 11.04.2003 को कहा है कि आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट है। मेसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण संयुक्त आबकारी आयुक्त (टास्क फोर्स) और उप आबकारी आयुक्त (कानून) द्वारा किया गया था। निरीक्षण में पाया गया है कि गोदाम बहुत पुराना है और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि ब्रिटिश काल के समय से डिस्टिलरी में मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड और डिस्टिलरी और सील गोदाम पुराने भवन में चल रहे हैं। गोदाम की छत एस्बेस्टस शीट से बनी थी। गोदाम में पुरानी इलेक्ट्रिक वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

इस संबंध में जिला अधिकारी , शाहजहाँपुर ने अपने पत्र सं . 689/ओएसडी/कैंप/2004 दिनांक 01.04.2004 के द्वारा घटना पर मार्गदर्शन/निर्देश के लिए अनुरोध किया। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं. जी–43/9–शराब/रोजा आग की घटना दिनांक 17.11.2003 के द्वारा इस घटना को सरकार को संदर्भित किया जिसमें सरकार ने पत्र सं. 3763 ई–2/13–03 दिनांक 17.02.2004 के द्वारा निर्देश दिया कि शराब के नष्ट हुए वर्ग पर उस समय प्रचलित शराब के वर्ग पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है और यह भी निर्देश दिया गया कि आबकारी आयुक्त इस घटना में कार्रवाई करने में सक्षम है।

सरकार द्वारा किए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, मामला यह है कि मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, रोजा शाहजहाँपुर ने यूपी बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स, 1969 के तहत एफएल–3 और एफएल 3 ए का लाइसेंस लिया था। उपर्युक्त नियमों के नियम 7 (11) (ए) के अनुसार, लाइसेंसधारी 1% से अधिक की बर्बादी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। गोदाम में रखी गई शराब की सुरक्षा के लिए उपाय/सावधानी बरतना लाइसेंस धारक की जिम्मेदारी थी, लेकिन गोदाम में रखी गई शराब की उचित सुरक्षा नहीं की गई। लाइसेंसधारी ने शराब, बोतल, लेबल आदि की कीमत का बीमा लिया था, लेकिन शराब पर लगाए गए आबकारी शुल्क का बीमा नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कराया गया था। इस तरह, लाइसेंसधारी ने अपने शराब के मूल्य को सुरक्षित कर लिया है। लाइसेंसधारी को इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो भी नुकसान हुआ है वह बीमा से वसूला किया गया है। इसलिए, शायद लाइसेंसधारी बिजली के उपकरणों के बारे में लापरवाह था। लाइसेंसधारी को लाइसेंस लेते समय नियमों और शर्तों के बारे में पता था कि उसे मात्रा के 1% से अधिक स्टॉक किए गए शराब के अपव्यय पर आबकारी शुल्क का भुगतान करना है। यह जानकारी होने के बावजूद, लाइसेंसधारी ने अच्छी गुणवत्ता के फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक उपकरणों की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण प्रश्नगत घटना घटी। शराब के स्टॉक की सुरक्षा में डिस्टिलर द्वारा की गई लापरवाही को दैवीय घटना नहीं माना जा सकता है। लाइसेंस उसे यूपी बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स, 1969 के तहत दिया गया है। उन नियमों के नियम 7 (11) (ए) के तहत 1% से अधिक अपव्यय पर आबकारी शुल्क लगाने का प्रावधान है। लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों से इनकार नहीं कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा हर शंकर एवं अन्य बनाम उप आबकारी और कराधान आयुक्त एवं अन्य (1997) 1 एससीसी 737 के मामले में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसधारी ने 1969 के विचाराधीन नियमों को ध्यान से पढ़ने के बाद लाइसेंस लिया है और अब वह लाइसेंस की शर्तों से बाहर नहीं निकल सकता है। लाइसेंसधारी ने उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स 1969 को खुली आंखों से पढ़ने के बाद लाइसेंस प्राप्त किया है, इसलिए वह नियमों का पालन करने से छूट नहीं पा सकता है।

इसका उल्लेख खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (1975) एससीसी 576 के मामले में दिये निर्णय के बिंदु (ज) "राज्य अपने राजस्व को अधिकतम करने की दृष्टि से व्यापार या व्यवसाय के लिए लाइसेंस बेचने के किसी भी तरीके को अपना सकता है जब तक कि अपनाई गई विधि भेदभावपूर्ण न हो।"

यूपी बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स, 1969 के नियम 7 (11) (ए) से स्पष्ट है कि ये नियम राजस्व को सुरक्षित करने के लिए बनाए गये हैं। राज्य को शराब बनाने, रखने, परिवहन, आयात–निर्यात पर विशेषाधिकार है। राजस्व में वृद्धि के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सार्वजनिक हित में राज्य शराब के व्यवसाय की कड़ाई से निगरानी करता है ताकि न तो इसका दुरुपयोग किया जा सके और न ही इससे राजस्व का नुकसान हो सके। यूपी बॉटलिंग ऑफ फॉरेन लिकर रूल्स, 1969 के नियम 7 (11) (ए) के अनुसार उपर्युक्त के संबंध में, शराब के विभिन्न ब्रांडों पर वर्ष 2003–2004 के लिए घटना के समय प्रचलित दर के अनुसार रुपये 6,39,32,449.44/– (रुपये छह करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ चालीस और केवल चालीस पैसे) का उत्पाद शुल्क मेसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, रोजा, जिला शाहजहाँपुर पर देय है।

गेजेंद्र पाल

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश। "

(रेखांकित किया गया)

13.1 आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर ने वसूली की कार्यवाही शुरू की और प्रतिवादी कंपनी को एक सप्ताह के भीतर रू. 6,39,32,449.44 रुपये की पूर्वोक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया।

<u>उच्च न्यायालय में रिट याचिका और मामले में अंतरिम आदेश</u>

14. आबकारी आयुक्त द्वारा की गयी मांग और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई वसूली की कार्यवाही से पीड़ित होकर, प्रतिवादी कंपनी ने रिट याचिका विविध बेंच नंबर 4493 वर्ष 2006, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, लखनऊ में निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की–

"i. उत्प्रेषण प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा रिकॉर्ड की माँग की जाए और 11 जुलाई, 2006

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिनांकित आबकारी आयुक्त,उ.प्र. के आक्षेपित आदेश और जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर, उ.प्र. के 17 जुलाई, 2006 दिनांकित पत्र को रद्द किया जाए।

ii. परमादेश की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश प्रतिवादी गण को जारी किया जाए कि 10 अप्रैल,2003 को शाहजहाँपुर में आग दुर्घटना के कारण नष्ट हुए भारतीय निर्मित विदेशी शराब की मात्रा के संबंध में कथित मांग के लिए याचिकाकर्ता से किसी भी राशि की वसूली न की जाए।

iii. परमादेश की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, भारतीय निर्मित विदेशी शराब नियम, 1969 के नियम 7 (11) को शून्य घोषित करते हुए और उ.प्र. आबकारी अधिनियम के विरूद्ध घोषित करते हुए।

iv उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट/आदेश या निर्देश जारी किया जाए रिकॉर्ड मांगने के लिए और राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द करते हुए जो प्रधान सचिव (आबकारी) के पत्र दिनांकित 17.02.2004 द्वारा के संसूचित किया गया था।

14.1. उक्त रिट याचिका में, उच्च न्यायालय द्वारा 25.07.2006 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी कंपनी द्वारा आबकारी आयुक्त के पास 3 करोड़ रूपये जमा करने की शर्त पर वसूली की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी कंपनी ने वि.अ.या. (सी) सं. 12902 वर्ष 2006 के माध्यम से 25.07.2006 दिनांकित इस अंतरिम आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन, इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इनकार कर दिया और विशेष अनुमति याचिका दिनांक 14.08.2006 को खारिज कर दी गई। तत्पश्चात, प्रतिवादी कंपनी ने उक्त 3 करोड़ की राशि जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर के पास दिनांक 21.08.2006 को जमा की। अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2006 को रिट याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया और रिट याचिका को अंततः उच्च न्यायालय ने 10.04.2017 के अपने फैसले द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

<u>दिनांक 10.04.2017 और 06.11.2019 के आक्षेपित आदेश : उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी और परिणामी आदेश पारित किए</u>

15. उच्च न्यायालय ने 10.04.2017 दिनांकित अपने आक्षेपित आदेश में, नियम 1969 और आबकारी नियमावली के साथ–साथ पूर्वोक्त पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, इस तथ्य का उल्लेख किया कि यद्यपि रिट याचिका में नियम 1969 के नियम 7 (11) की वैधता पर सवाल उठाया गया था, लेकिन इस मामले पर बहस करते हुए, कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी चुनौती को अनिवार्य रूप से इस आधार तक सीमित कर दिया कि कंपनी को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता था जब उत्पाद शुल्क का नुकसान होने में उसकी ओर से कोई लापरवाही हुई होती, लेकिन, वर्तमान मामले में, कंपनी की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गयी और यह दैवीय घटना थी और इसलिए, कंपनी पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम 1969 के नियम 7 (11) (क) अपव्यय से संबंधित होने के कारण, आईएमएफएल की बॉटलिंग और भंडारण के संचालन में प्रयोज्य नहीं है, लेकिन आग के कारण स्पिरिट का नुकसान हुआ था। उच्च न्यायालय ने कहा उस संबंध में आबकारी नियमावली का नियम 709 लागू होगा ,यदि कंपनी की किसी भी लापरवाही के कारण उत्पाद शुल्क में नुकसान दिखाया जाता है, यह नुकसान की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भरपाई करने के लिए लिए उत्तरदायी होगी। उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार धारित किया –

> "26. नियमावली, 1969 का नियम 7 (11) (क) में अपव्यय की बात की गई है जो आईएमएफएल की बॉटलिंग और भंडारण के संचालन में हुई हो, लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है जहां आईएमएफएल की बॉटलिंग और भंडारण के संचालन में कोई बर्बादी हो लेकिन आग के कारण स्पिरिट की कुल हानि हुई है और इससे उत्पाद शुल्क को नुकसान हुआ है।
>
> 27. हमारे विचार में, यह उ.प्र. आबकारी नियमावली का नियम, 709 है जो लागू होता है और यदि याचिकाकर्ता को किसी भी लापरवाही के कारण उत्पाद शुल्क में नुकसान दिखाया जा सकता है, तो उक्त नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, पूर्व शर्त, याचिकाकर्ता की ओर से 'लापरवाही' का तथ्य है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमावली, 1969 के नियम 7 (11) (क) का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है और यह उ .प्र. आबकारी नियमावली का नियम 709 है जो आकृष्ट होता है। "

16. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 11.07.2006 के आक्षेपित आदेश का विश्लेषण किया और कहा कि उसमें दिए गए निष्कर्षों में सार की कमी थी और केवल अनुमान और सुना–सुनाया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट लापरवाही नहीं थी और उसने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि यह घटना दैवीय कृत्य के अलावा और कुछ नहीं थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि लापरवाही राजकोषीय दायित्व के लिए पूर्ववर्ती शर्त है, ऐसी कोई भी देयता तब तक तय नहीं की जा सकती जब तक कि किसी सामग्री के आधार पर लापरवाही नहीं पाई जाती और यह दिखाने के लिए कि किसी भी सामग्री के अभाव में कि कंपनी की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नुकसान हुआ था, विचाराधीन मांग पूरी तरह से अवैध और अस्थिर थी। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ प्रश्नगत माँग को अपास्त किया –

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"29. याचिकाकर्ता को लापरवाही का दोषी ठहराने के लिए, ईसीयूपी ने 11.7.2006 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा यह स्वीकार करते हुए कि पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में, बिजली की आपूर्ति से 'शॉर्ट सर्किट' को संभावित कारण बताया गया है, लेकिन ऐसा कहते हुए, यह आगे कहा गया है कि (i) गोदाम बहुत पुराना है और ठीक से मरम्मत नहीं हुई है (ii) डिस्टलरी ब्रिटिश काल की है, डिस्टलरी और गोदाम दोनों पुराने भवनों में चल रहे हैं (iii) गोदाम की छत एबिस्टोस शीट से बनी है और गोदाम में पुराने विद्युत तार के कारण शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है (iv) उत्पाद शुल्क का बीमा प्राप्त नहीं किया गया था, हालांकि स्पिरिट का बीमा किया गया था (v) लाइसेंसधारी विद्युत उपकरणों के रखरखाव में संभवतः लापरवाही कर रहा था (vi)लाइसेंसधारी ने विद्युत उपकरणों का बीमा नहीं कराया था। (vii) विद्युत उपकरण अच्छी कोटि के अग्निरोधी नहीं थे। जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसलिए, यह दैवीय कार्य नहीं है। जब हमने प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि कहां से प्रतिवादीगण को जानकारी मिली है कि आग उपकरण अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे और घटना का कारण बने या डिस्टिलरी में विद्युत उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही थी, तो वह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री को इंगित नहीं कर सके, जहां से ईसीयूपी द्वारा तैयार किए गए अनुमान को पुष्ट किया जा सके या उचित ठहराया जा सके। वास्तव में, पूर्वोक्त अनुमान कुछ भी नहीं , केवल ईसीयूपी की ओर से सारहीन अनुमान और सुनी सुनायी बाते हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

30. इसके विपरीत, समय–समय पर विभिन्न अधिकारियों, जिन्होंने साइट का दौरा किया है, ने स्पष्ट रूप से बताया है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई स्पष्ट लापरवाही नहीं थी। यह घटना दैवीय कार्य के अलावा और कुछ नहीं थी। जब कोई वित्तीय दायित्व कतिपय शर्त पर आधारित हो, अर्थात उस व्यक्ति की ओर से जिसे जिम्मेदार ठहराया जाना है, उस स्थिति में, तब तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी लापरवाही को किसी सामग्री के आधार पर स्थापित नहीं किया जाता है। यह तथ्य कि इमारत पुरानी थी या वायरिंग पुराने थे, बिजली विभाग या अग्निशमन विभाग या यहां तक कि आबकारी अधिकारियों द्वारा या तो आग लगाने के लिए खतरनाक या प्रवण होने की ओर इशारा किया गया था, जो अनुबंधित डिस्टलरी, भंडारण और गोदाम के प्रभारी थे।

31. इसके अलावा, डिस्टलरी में स्थापित विद्युत उपकरण अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे, यह भी अनुमान है क्योंकि इसे मजबूत करने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई गई थी। यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है, हम पाते हैं कि इस रिट याचिका में की गई मांग पूरी तरह से अवैध है और इसे बरकरार नहीं रख सकती है।

32. तदनुसार रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। 11. 7. 2006 और 17.7.2006 दिनांकित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। कोई लागत नहीं। "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(रेखांकन किया गया)

17. पूर्वोक्त निर्णय के बाद, प्रतिवादी कंपनी ने अंतरिम आदेश के अनुपालन में जमा किए गये 3 करोड़ रुपये की राशि की वापसी/समायोजन के लिए निर्देश की प्रार्थना की। उक्त आवेदन, सीएम नंबर 90936 वर्ष 2019 था जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और 06.11.2019 दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी जिसमें आबकारी आयुक्त से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा दिए गए आवेदन को अभिनिर्धारित करने की अपेक्षा थी कि धन अंतरिम आदेश के अनुसरण में जमा किया गया था और बाद में, रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

विरोधी तर्क

18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए,अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अनिवार्य रूप से दोहरा तर्क दिया हैः एक, कि यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी कंपनी की ओर से लापरवाही का मामला था जहां आग की घटना को दैवीय कृत्य नहीं कहा जा सकता है और दूसरा, कि यूपी आबकारी अधिनियम, 1910[7], आबकारी नियमावली और 1969 के नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार, आग में नष्ट हुई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग को ठीक ही उठाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मामले के एक अन्य पहलू पर न्यायालय को भी अवगत कराया है, जो कि आग में नष्ट हुए आईएमएफएल की लागत के सापेक्ष प्रतिवादी कंपनी द्वारा प्राप्त बीमा दावे के संबंध में है।

7 एतश्मिनपश्चात् "1910 के अधिनियम" से भी संदर्भित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

19. विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ईश्वर का कार्य एक अपरिहार्य , अप्रत्याशित और अनुचित रूप से गंभीर घटना है जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होती है, जैसे भूकंप, बिजली, बाढ़ आदि। यह मानव नियंत्रण के बाहर एक प्राकृतिक खतरा है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह कहा गया है कि डिस्टिलरी में आग लगने की घटना तब दैवीय कार्य होती यदि, भूकंप या बिजली जैसी कुछ ऐसी घटना हुई होती, लेकिन घटना के समय ऐसा कोई प्राकृतिक शक्ति परिचालन में नहीं था और इस घटना के लिए किसी प्राकृतिक शक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि केवल कुछ मानवीय गलती को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब प्राकृतिक शक्ति इस परिदृश्य में नहीं थी तो घटना के पीछे स्पष्ट रूप से प्रतिवादी कंपनी की ओर से लापरवाही के तत्वों को संदर्भित किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क को विस्तार देते हुए कहा कि लापरवाही एक विशिष्ट अपकृत्य है और अनिवार्य रूप वह सतर्कता बरतने में विफलता को दर्शाता है जो परिस्थितियों की मांग थी। उन तर्कों के समर्थन में कि वर्तमान घटना दैवीय कृत्य नहीं है, विद्वान अधिवक्ता ने *संभागीय नियंत्रक, केएसआरटीसी बनाम महादेव शेट्टी एवं अन्य:(2003) 7 एससीसी 197, वोहरा सादिकभाई राजकभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य :(2016) 12 एससीसी 1 और पटेल रोडवेज लिमिटेड बनाम बिड़ला यामाहा लिमिटेडः (2000) 4 एससीसी 91* के मामलों को संदर्भित कर अवलंब लिया है।

19. 1 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान मामले में गोदाम जिसमें बड़ी मात्रा में अत्यधिक ज्वलनशील आईएमएफएल का भंडारण किया गया था, में आग की घटना शॉर्ट–सर्किट के कारण हुई थी जो, स्पष्ट रूप से एक ऐसी घटना थी जिससे बचा जा सकता था, यदि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा उचित आवश्यक कदम उठाए जाते। यह कहा गया है कि बड़ी मात्रा में मादक वाष्प हवा में होने के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कारण डिस्टिलरी भी आग के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं और प्रतिवादी कंपनी को ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए देखभाल और सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। निरीक्षण रिपोर्टों के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचाराधीन घटना से पहले भी, विद्युत प्रतिष्ठानों और वायरिंग में दोषों और कमियों का संकेत दिया गया था और जब शॉर्ट–सर्किट के कारण आग की घटना हुई , तो कंपनी केवल यह कह कर नहीं बच सकती कि उन्होंने सभी निवारक उपायों का पालन किया था या अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र लिया था।

20. आग में नष्ट हुई आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की मांग और वसूली के अपीलार्थी के हक और इस तरह का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी कंपनी की प्रासंगिक देयता के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ दिया है और कहा है कि विचाराधीन मांग कानून के अनुरूप है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

21. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 8 और 51 के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नशीली शराब से संबंधित विषय पर कानून का पूरा क्षेत्र और साथ ही उत्पाद शुल्क और प्रतिवाद कर्तव्यों से संबंधित मामले राज्य विधायिका के क्षेत्र में हैं और वर्तमान उद्देश्य के लिए, मामला 1910 के अधिनियम, उत्पाद शुल्क नियमावली और 1969 की नियमावली में निहित प्रावधानों द्वारा शासित है।1910 के अधिनियम की धारा 17,18,19,28,29 और 30 के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि किसी भी नशीले पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता है और किसी भी शराब को बिक्री के लिए बोतलबंद नहीं किया जा सकता है सिवाय उस हेतु प्राधिकार के और उस संबंध में दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन (धारा 17) और, धारा 18 के अनुसार, आबकारी आयुक्त डिस्टिलरी और गोदाम की स्थापना के लिए एक लाइसेंस प्रदान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कर सकता है जिसमें धारा 17 के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत स्पिरिट का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 19 के अनुसार, किसी भी नशीले पदार्थ को किसी भी डिस्टिलरी, शराब की भट्ठी, गोदाम या भंडारण के स्थान से नहीं हटाया जा सकता है, जब तक कि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो या उसके भुगतान के लिए एक बांड निष्पादित नहीं किया गया हो। इस प्रकार यह कहा गया है कि किसी भी नशीले पदार्थ को हटाने के लिए पूर्व शर्त इस तरह के भुगतान के लिए देय शुल्क या बांड के निष्पादन का वास्तविक भुगतान है। विद्वान अधिवक्ता ने आईएमएफएल की बॉटलिंग के लिए प्रतिवादी द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित बांड का उल्लेख किया है और कहा है कि लाइसेंसधारी 1910 के अधिनियम के सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है।

21.1 विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पीडी–2 लाइसेंस के तहत डिस्टिलरी स्थापित की गई है, प्रतिवादी लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था और तदनुसार, हमेशा 1910 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांग की गई ड्यूटी जमा करने के लिए बाध्य रहा है, खासकर जब सभी संचालन, जिसमें पीडी–2 लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र से बॉटलिंग हॉल और गोदाम में शराब का हस्तांतरण शामिल है और फिर, प्रेषण सहित लाइसेंस की शर्तों और डिस्टिलर द्वारा निष्पादित बांड के अन्तर्गत आते हैं। फिर भी, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 1969 की नियमावली के नियम 7 (11) (क) के संदर्भ में, प्रतिवादी कंपनी 1 प्रतिशत से अधिक अपव्यय पर शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार थी और इस दायित्व से बच नहीं सकती है। आबकारी नियमावली के नियम 813 के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि इसके संदर्भ में, एक डिस्टिलरी में संग्रहीत विभिन्न प्रकार की स्पिरिट के लिए मुफ्त अपव्यय भत्ता प्रदान किया जाता है, लेकिन बोतलबंद स्पिरिट के विशिष्ट बहिष्करण के संबंध में यह स्पष्ट है कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्पिरिट के बोतलबंद और संग्रहीत हो जाने पर, लाइसेंसधारी आबकारी नियमावली के नियम 709 सपठित 1969 की नियमावली के नियम 7 (11) (क) के संदर्भ में बोतलबंद स्पिरिट के अपव्यय के मामले में उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहता है। *हर शंकर एवं अन्य बनाम आबकारी और कराधान उपायुक्त एवं अन्यः (1975) 1 एससीसी 737,*के मामले को संदर्भित करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जब लाइसेंसधारी ने 1969 की नियमावली को ध्यान से पढ़ने के बाद लाइसेंस लिया है, तो वह लाइसेंस की शर्तों से बाहर नहीं हो सकता है।

22. इस सवाल पर कि आईएमएफएल उत्पाद शुल्क के लिए कब योग्य होता है, तो विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 1910 के अधिनियम और उसके तहत नियमों की योजना में, शराब के निर्माण के लिए डिस्टलरी में स्पिरिट के प्रवेश के बिंदु से उत्पाद शुल्क सही है और सम्मिश्रण, निर्माण और बोतलबंद करने के बिंदुओं सहित हर बिंदु पर और उसके बाद बोतलबंद स्पिरिट पर। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी कंपनी अपने दावे में गलत है कि गोदाम में नष्ट होने वाला सामान पर, उत्पाद शुल्क देय नहीं था। यह कहा गया है कि बोतल में जिस समय स्पिरिट को संग्रहीत किया जाता है, बोतल पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य हो जाता है, भले ही उसे गोदाम से बाहर न निकाला जाए।

22.1 1910 के अधिनियम की धारा 28 और 29 के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ये प्रावधान क्रमशः राज्य को उत्पाद शुल्क लगाने के लिए सशक्त बनाते हैं और जिस तरीके से शुल्क लगाया जाना है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्पाद शुल्क, जो वास्तविक शब्दों में राज्य के अनन्य विशेषाधिकार की कीमत है, डिस्टिलरी में निर्मित शराब पर लगाया जा सकता है और यह गलत है कि उत्पाद शुल्क को बोतलबंद स्पिरिट पर नहीं लगाया जा सकता है या केवल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गोदाम से शराब की निकासी पर मात्रांकन और संग्रहण कर के लगाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से *यूपी राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मोदी डिस्टलरी आदि:(1995) 5 एससीसी 753,* के संबंध में इस इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है जो विभिन्न चरणों और विभिन्न समयबिंदुओं पर उत्पाद शुल्क की मांग की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में है। विद्वान अधिवक्ता ने यूपी राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मोहन मीकिन ब्रेवरी लिमिटेड एवं एक अन्य:(2011) 13 एससीसी 588 के मामले में दिए गये निर्णय का भी उल्लेख किया है

23. जैसा कि प्रतिवादी के रुख के एक अन्य पहलू के संबंध में है कि डिस्टिलरी में आबकारी विभाग के कर्मचारियों की नियमित तैनाती है, पूरा संचालन आबकारी विभाग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत रहता है, अनुबंधित गोदाम प्रतिवादी और आबकारी विभाग के संयुक्त लॉक के तहत है, और शराब केवल आबकारी निरीक्षक द्वारा विभाग का ताला खोलने पर जारी किया जाता है, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आबकारी अधिकारियों की ऐसी तैनाती नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और राज्य के राजस्व हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन इस मामले के लिए, डिस्टिलरी की सुरक्षा और भवन और प्रतिष्ठानों के उचित रखरखाव से किसी भी दुर्घटना की रोकथाम को आबकारी विभाग में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और ऐसी सुरक्षा एकमात्र लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी थी। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विचाराधीन आग की घटना, जो केवल उचित रखरखाव और प्रतिष्ठानों और /या उपकरणों के रखरखाव में कमी के कारण हुई, प्रतिवादी कंपनी अकेले उत्तरदायी और जिम्मेदार रहती है।

24. तर्कों के एक अन्य हिस्से में, विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रतिवादी कंपनी ने शराब के मूल्य का बीमा कवरेज लिया था और इसलिए,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बीमाकर्ता द्वारा मुआवजा दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जब प्रतिवादी कंपनी को बीमा कंपनी से शराब के मूल्य की प्रतिपूर्ति मिली, तो यह घटना शराब की बिक्री के समान थी और इक्विटी और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर, राज्य को इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है कि जब डिस्टिलर को शराब का मूल्य प्राप्त हुआ है, तब भी संबंधित उत्पाद शुल्क राज्य को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि शराब के मूल्य का बीमा कवरेज लेते समय, उत्पाद शुल्क के मूल्य का बीमा कवरेज लेने के लिए प्रतिवादी कंपनी की ओर से चूक, खुद प्रतिवादी की ओर से लापरवाही है और इसके भी, प्रतिवादी बीमा कम्पनी से बरामद शराब के मूल्य पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इन तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *धरमपाल सत्यपाल बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नोएडा:(2004) 167 एल्ट,291* के मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तरी पीठ, नई दिल्ली[8] द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख किया है। जिसमें बारिश के पानी में माल (पान मसाला) के नुकसान के कारण शुल्क की छूट को अस्वीकार कर दिया गया था, जब यह पाया गया कि मूल्यांकिती को बीमा कंपनी द्वारा एक ऐसी राशि का मुआवजा दिया गया था जो शामिल शुल्क से बहुत अधिक था।

25. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है और यह तर्क दिया है कि आग की घटना के संबंध में प्रतिवादी कंपनी की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी और आग में नष्ट शराब पर उत्पाद शुल्क के प्रति कोई दायित्व नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के संदर्भ में यह तर्क दिया

8 संक्षेप में 'सीईएसटीएटी'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किं कर का उद्ग्रहण और सग्रहण विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए और 1910 के अधिनियम, आबकारी नियमावली और 1969 के नियमों के तहत, उत्पाद शुल्क केवल डिस्टलरी से आईएमएफएल जारी करने के बिंदु पर एकत्र किया जा सकता था और गोदाम में आग लगने के कारण नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर उत्पाद शुल्क की मांग का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आग में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक के संबंध में, किसी और को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ था और इसलिए, उत्पाद शुल्क की वसूली के अवसर पर कोई बिक्री नहीं हुई थी।

26. यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी ने डिस्टलरी के गोदाम में आईएमएफएल के स्टॉक के सुरक्षित रखरखाव/भंडारण की सभी सावधानी बरती थी, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आग बुझाने वाले उपकरण डिस्टलरी परिसर में स्थापित किए गए थे और अग्निशमन विभाग ने आग के से सुरक्षा के संबंध में डिस्टलरी द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों से पूरी तरह संतुष्ट होने पर दिनांक 01.03.2003 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया; यह कि सहायक विद्युत निरीक्षक ने निरीक्षण के बाद दिनांक 19.09.2002 को प्रमाण पत्र जारी किया और इस बात से संतुष्ट होने पर कि विद्युत वायरिंग उपकरण आदि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1966 के अनुसार थे; यह कि डिस्टलरी ने 06.10.1994 को काम करने का लाइसेंस प्राप्त किया था जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया गया था और घटना की तारीख को मान्य था; यह कि विशेष रूप से सहायक आबकारी आयुक्त की दिनांक 02.08.2003 की रिपोर्ट में कहा गया था कि आग का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता और यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डिस्टलरी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जा रही थी या आग जानबूझकर लगायी गयी थी यहाँ तक कि पुलिस द्वारा दी गयी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि आग का कारण निश्चित नहीं किया जा सका और प्रतिवादी की ओर से किसी लापरवाही का कोई उल्लेख

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बिल्कुल नहीं है; यह कि अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में भी, यह कहा गया है कि आग के कारणों का विनिश्चय नहीं किया जा सका ; यह कि जिलाधिकारी शाहजहाँपुर ने भी मुख्य सचिव (आबकारी) को भेजे अपने 21.10.2003 दिनांकित पत्र में आग के कारणों का अज्ञात होना लिखा और कहा कि डिस्टलरी की ओर से लापरवाही का कोई साक्ष्य नहीं है। इन तथ्यों और कारकों के साथ, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आग की घटना जिसके कारण आईएमएफएल नष्ट हो गयी, प्रतिवादी की किसी भी लापरवाही के कारण नहीं हुआ और इसके साथ युग्मित तथ्य यह है कि डिस्टिलरी पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रतिवादी की ओर से कोई लापरवाही नहीं है, आग में नष्ट हुई शराब पर उत्पाद शुल्क की कोई देयता उस पर नहीं लगायी जा सकती है।

27. यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिवादी की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ शुल्क की मांग की वैधता को स्वीकार किया है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 265, अधिनियम,1910 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के साथ–साथ आबकारी नियमावली का भी उल्लेख किया है और कहा है कि आबकारी नियमावली का नियम 708 राज्य सरकार को आग या चोरी या माप या सबूत या किसी अन्य कारण से डिस्टलरी में संग्रहीत स्पिरिट के विनाश, हानि या क्षति के लिए जिम्मेदारी से बचाता है, इस कारण से कि संपूर्ण डिस्टलरी (गोदाम सहित) आबकारी विभाग के ताला और चाबी के नीचे है। विद्वान अधिवक्ता ने आबकारी नियमावली के नियम 709 को यह कहने करने के लिए संदर्भित किया है कि नुकसान की स्थिति में, डिस्टलरी को उसी स्थिति में सरकार को हुए राजस्व के नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है जब यह उनकी लापरवाही के कारण हुआ हो। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि नियम 709 के संदर्भ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में, यदि डिस्टलरी द्वारा स्पिरिट के स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा में लापरवाही नहीं बरती गई है, तो उसे उत्पाद शुल्क के ऐसे नुकसान के लिए भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो दुर्घटना या मानवीय नियंत्रण से बाहर के कारकों द्वारा हुआ हो।

27.1 फिर भी, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि बोतलबंद शराब के भंडारण सहित संपूर्ण बोतलबंद परिचालन उत्पाद शुल्क निरीक्षक की कड़ी निगरानी में किए जाते हैं और स्टॉक को विभाग और कंपनी के संयुक्त ताला और चाबी के तहत अलग–अलग कमरों में रखा जाता है। 1969 के नियमों, विशेष रूप से इसके नियम 7 के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संयुक्त ताले और चाभी के तहत इस प्रकार रखा गया स्टॉक उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर निर्यात के उद्देश्य के लिए या उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर थोक विक्रेता के उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है और बॉटलिंग कमरों/गोदामों से शराब जारी करने के बिंदु पर ही उत्पाद शुल्क को निर्धारित किया जाता है और जारी करने की तारीख, समय और स्थान के संदर्भ में एकत्र किया जाता है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने 1910 के अधिनियम की धारा 28 और 29 में निहित प्रावधानों का भी उल्लेख किया है और फिर से इस बात पर जोर दिया है कि इसके तहत राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांकित 30.03.1962 के तहत उत्पाद शुल्क की मात्रा, गणना और संग्रह के लिए आरंभ बिन्दु के रूप में जारी किए जाने के बिन्दु का चयन किया है, जो यह स्पष्ट करता है कि शुल्क की दर बिक्री के लिए जारी होने की तारीख से जुड़ी है, न कि निर्माण की तारीख से। विद्वत अधिवक्ता का कहना है कि आईएमएफएल को बिक्री के लिए गोदाम से जारी करने से पहले आग के कारण नष्ट हो जाने के कारण इस पर कोई उत्पाद शुल्क लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आबकारी अधिनियम के तहत शुल्क उत्पादन के स्तर पर लगाया जाता है लेकिन शुल्क का संग्रहण केवल बिक्री के लिए जारी किए जाने पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ही होती है इसलिए उत्पादन के बाद और बिक्री के लिए जारी किए जाने से पहले किसी दुर्घटना की स्थिति में, नियमावली,1969 का नियम 7(11) 1% बरबादी की अनुमति देता है और यदि बरबादी 1% से अधिक है तो पूरा राशि लेने की बात करता है और चोरी या आग से हानि की स्थिति में, डिस्टिलरी उसी स्थिति में राजस्व के नुकसान के लिए उत्तरदायी होती है जब उसकी ओर से कोई लापरवाही हो। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में, जहां शराब बिक्री के लिए गोदाम से जारी नहीं की गई थी और डिस्टिलरी की ओर से किसी लापरवाही के कारण नष्ट नहीं हुई थी, वहां उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण को अस्वीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि वह विधि द्वारा अधिकृत नहीं था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने सोमैया ऑर्गेनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं एक अन्य (2001) 5 एस. सी. सी. 519 के मामले को यह कहने के लिए संदर्भित किया कि कर के उद्ग्रहण और संग्रहण दोनों को विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि उत्पाद शुल्क नियमावली का नियम 709 लागू होगा और प्रतिवादी पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी।

28. बीमा कंपनी द्वारा बीमा के प्रभाव और आईएमएफएल के मूल्य की प्रतिपूर्ति के संबंध में,विद्वान अधिवक्ता ने माल की बिक्री अधिनियम, 1930 और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में भी बिक्री की परिभाषा का उल्लेख किया है और कहा कि आग के कारण नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक में न तो संपत्ति का कोई हस्तांतरण हुआ था और न ही कोई बिक्री हुई थी और आग में माल की हानि के कारण बीमाकर्ता से प्राप्त दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा कि उत्पाद शुल्क के लिए बीमा कवर न लेना एक अप्रासंगिक और निराधार तथ्य था

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

क्योंकि उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता जब प्रतिवादी कंपनी की ओर से लापरवाही की गई होती, अन्यथा नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वास्तव में, यदि प्रतिवादी की ओर से कोई लापरवाही हुई होती तो बीमा कंपनी ने स्वयं बीमा दावे का निपटान नहीं किया होता और बीमा दावे का निपटान स्वयं यह साबित करता है कि प्रतिवादी की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादी कंपनी ने मामले में कोई लाभ अर्जित नहीं किया था और वास्तव में, वह उत्पाद शुल्क का भुगतान करता है जब यह अंतिम उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में, जब प्रतिवादी ने आगे नहीं बढ़ाया और किसी भी उपभोक्ता से उत्पाद शुल्क वसूल नहीं किया, तो प्रतिवादी पर इसे लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

29. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को पर्याप्त विस्तार से सुना और प्रयोज्य विधि के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का परीक्षण किया।

<u>विनिश्चय के लिए प्रश्न</u>

30. विरोधी प्रकथनों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में विनिश्चय के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रश्न उठते हैंः

क. इस बारे में कि क्या आग में नष्ट शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग विधि द्वारा अधिकृत है और क्या 1910 के अधिनियम, उत्पाद शुल्क नियमावली और 1969 के नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के उचित रूप से उठाई गयी है?

ख. इस बारे में कि क्या अग्नि की घटना मानव नियंत्रण से परे थी और प्रतिवादी कंपनी पर कोई लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता?

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ग. इस तथ्य का क्या प्रभाव होगा कि प्रतिवादी कंपनी ने केवल शराब के मूल्य का बीमा कवरेज लिया था (और उस पर उत्पाद शुल्क का नहीं) और फिर, शराब के मूल्य के संबंध में बीमा दावा प्राप्त किया था?

<u>प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान</u>

31. अंतर्वलित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम संवैधानिक और वैधानिक उपबंधों पर ध्यान दे सकते हैं, जो वर्तमान मामले में अपनी प्रासंगिकता रखते हैं।

32. मूल संवैधानिक आदेश कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर उद्ग्रहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में अंतर्विष्ट है, जो निम्नानुसार हैः–

> "265. *विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं* –विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर उद्ग्रहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।"

32.1. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रासंगिक प्रविष्टि 8 और 51 को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

> "8. मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय.
>
> 51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित समान माल पर समान या कम दरों पर प्रतिकारी शुल्कः–
>
> (क) मानव उपभोग के लिए मादक पेय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) अफीम, भारतीय भांग और अन्य स्वापक ओषधि और स्वापक ओषधि,किंतु इसके अंतर्गत इस प्रविष्टि के उप–पैरा (ख) में सम्मिलित अल्कोहल या किसी पदार्थ से युक्त औषधीय और शौचालय के सामान नहीं है।

33. उत्तर प्रदेश राज्य में नशीली शराब और नशीली दवाओं से संबंधित कानून मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित है। धारा 3 में निहित कुछ प्रासंगिक परिभाषाएं और प्रासंगिक प्रावधान, जिनका वर्तमान मामले में सीधा संबंध है, जैसा कि धारा 17,18,19,28 और 29 में निहित, निम्नलिखित हैः

3. *निर्वचन*–इस अधिनियम में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो –

(1) "उत्पाद शुल्क राजस्व " से किसी शुल्क, फीस, कर, जुर्माने (न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने से भिन्न) से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न योग्य राजस्व अभिप्रेत है या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या शराब या नशीली दवाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित या आदेश किया गया अधिहरण अभिप्रेत है;

* * * * * *

(3क) "उत्पाद शुल्क" और "प्रतिकारी शुल्क" से कोई ऐसा उत्पाद शुल्क या प्रतिकारी शुल्क अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है।

* * * * * *

(8) "स्पिरिट" "से आसवन द्वारा प्राप्त अल्कोहल युक्त कोई शराब अभिप्रेत है, चाहे वह विकृत हो या न हो"

* * * * * *

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(11) "शराब" "से नशीली शराब अभिप्रेत है और इसमें शराब, स्पिरिट, वाइन, तरी, पचवाई, बीयर और सभी तरल शामिल हैं, जो शराब से मिलकर या उसमें शामिल हैं, कोई भी पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब घोषित कर सकती है।

* * * * * *

(22 क) "उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु " से अभिप्रेत है –

(क) मानव उपभोग के लिए कोई मादक शराब या

(ख) कोई नशीली दवा

* * * * * *

17. *इस अधिनियम के प्रावधानों के अलावा नशीले पदार्थों का विनिर्माण प्रतिबंधित*–(1) (क) कोई नशीला पदार्थ नहीं बनाया जाएगा।

(ख) किसी भी भांग के पौधे (कैनबिस सैटिवा) की खेती नहीं की जाएगी

(ग) भांग के पौधे (कैनबिस सैटिवा) का कोई भी भाग, जिससे कोई नशीली दवा बनाई जा सकती है, एकत्र नहीं किया जाएगा

(घ) किसी भी प्रकार की शराब को बिक्री के लिए बोतलबंद नहीं किया जाएगा और

(ङ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी के अलावा कोई भी नशीला पदार्थ, उसे बनाने का सामान, बर्तन या व्यवस्था नहीं रखेगा

सिवाय प्राधिकार के अधीन और जिलाधीश द्वारा इस निमित्त दिए गए लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए,

(2) धारा 18 के तहत आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन और प्राधिकार के तहत ही किसी डिस्टिलरी या ब्रुअरी या विनिर्माता का निर्माण या काम किया जाएगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

18. *भट्टियों और गोदामों की स्थापना या लाइसेंसिंग–*

उत्पाद शुल्क आयुक्त –

(क) एक डिस्टिलरी स्थापित कर सकता है, जिसमें धारा 17 के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत ऐसी शर्तों पर स्पिरिट का निर्माण किया जा सकता है, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती है।

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी डिस्टिलरी को बंद करना

(ग) लाइसेंस, ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार डिस्टिलरी या ब्रूवरी या विनिर्माता के निर्माण और कार्य को अधिरोपित करने के लिए उचित समझे

(घ) ऐसा गोदाम स्थापित करना या लाइसेंस देना जिसमें कोई मादक पदार्थ जमा किया जा सके और शुल्क का भुगतान किए बिना रखा जा सके. और

(ङ) इस प्रकार स्थापित किसी गोदाम को बंद करना.

19. *डिस्टिलरी आदि से मादक पदार्थों को हटाना–*इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी डिस्टिलरी, ब्रुअरी, फैक्ट्री, वेयरहाउस या भंडारण के अन्य स्थान से किसी मादक पदार्थ को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि अध्याय 5 के अधीन देय शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बांड निष्पादित न कर दिया गया हो।

* * * * * *

28. *उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क–*(1) उत्पाद शुल्क या प्रतिकारी शुल्क, जैसा भी मामला हो, किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु पर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित दर या दरों पर या तो आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए लगाया जा सकता है –

(क) धारा 12 (1) के उपबंधों के अनुसार आयातित या

(ख) धारा 13 के उपबंधों के अनुसार निर्यात किया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ग) परिवहनित

(घ) धारा 17 के अधीन दिए गए किसी लाइसेंस के अधीन विनिर्मित, संवर्धित या संगृहीत या स्थापित किसी डिस्टिलरी या

(ङ)धारा 18 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी डिस्टिलरी में विनिर्मित

बशर्ते निम्नलिखित–

(i) भारत में आयात की गई और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1894 या समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1887 के तहत शुल्क के लिए ऐसे आयात पर उत्तरदायी किसी भी वस्तु पर शुल्क इस प्रकार नहीं लगाया जाएगा।

व्याख्या– इस धारा के तहत शुल्क उन स्थानों के अनुसार अलग–अलग दरों पर लगाया जा सकता है जहां किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को उपभोग के लिए हटाया जाना है, या इस तरह की वस्तु की अलग–अलग शक्ति और गुणवत्ता के अनुसार।

(2) राज्य सरकार, पूर्वोक्त रूप में उत्पाद शुल्क या प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित करने में और अपनी दर नियत करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में विनिर्दिष्ट निदेशक सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी।

29. *जिस रीति से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा*–ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो उत्पाद शुल्क आयुक्त भुगतान के समय, स्थान और तरीके को विनियमित करने के लिए विहित करें, ऐसे शुल्क को निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से उद्गृहीत किया जा सकता हैः

(क) धारा 12 (1) के तहत आयात की गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में –

(i) आयात के प्रांत में या निर्यात के प्रांत या क्षेत्र में भुगतान या

(ii) धारा 18 (घ) के तहत लाइसेंस प्राप्त या स्थापित गोदाम से बिक्री के लिए जारी होने पर भुगतान द्वारा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) धारा 13 के अधीन निर्यात की गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में या तो निर्यात के प्रांत में या प्रांत में या आयात के भय से भुगतान द्वारा

(ग) परिवहन की जाने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में –

(i) उस जिले में भुगतान द्वारा, जहां से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु का परिवहन किया जाना है, या

(ii) धारा 18 (घ) के तहत लाइसेंस प्राप्त या स्थापित गोदाम से बिक्री के लिए जारी होने पर भुगतान द्वारा

(घ) धारा 17 (1) के अधीन दिए गए किसी लाइसेंस के अधीन विनिर्मित नशीली दवाओं के मामले में –

(i) धारा 17 (1) (क) के प्रावधानों के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत विनिर्मित मात्रा पर प्रभारित दर, या धारा 18 (डी) के तहत स्थापित या लाइसेंस प्राप्त किसी गोदाम से जारी की गई मात्रा,

(ii) जहां मादक दवा का उत्पादन धारा 17 (1) (बी) और (सी) के प्रावधानों के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत हेम्प प्लांट (कैनबिस सटाइवा) से किया जाता है, या खेती पर लगाए गए एकड़ दर, या एकत्र की गई राशि पर प्रभारित दर द्वारा

(ङ) धारा 18 के अधीन लाइसेंस प्राप्त या स्थापित किसी डिस्टिलरी या किसी डिस्टिलरी ब्रुअरी या फैक्ट्री में विनिर्मित स्पिरिट या बियर के मामले में

(i) डिस्टिलरी ब्रुअरी या फैक्ट्री, जैसी भी स्थिति हो, से उत्पादित या जारी की गई मात्रा पर प्रभारित दर से या धारा 18 (घ) के तहत स्थापित या लाइसेंस प्राप्त किसी वेयरहाउस से जारी की गई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ii) उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों की मात्रा के आधार पर या राज्य सरकार द्वारा विहित, यथास्थिति, धुलाई या वर्ट के क्षरण की मात्रा के आधार पर परिकलित ऐसे पैमाने या समतुल्य अनुपातों के अनुसार प्रभारित दर सेः

बशर्ते कि, जहां धारा 18 (घ) के तहत स्थापित या लाइसेंस प्राप्त किसी वेयरहाउस से बिक्री के लिए एक शुल्क योग्य वस्तु के निर्गम पर भुगतान किया जाता है, वहां यह उस शुल्क की दर पर होगा जो उस तारीख को उस वस्तु पर लागू है जब वह वेयरहाउस से जारी की जाती है।"

34. भट्टियों में नष्ट हुई और अपशिष्ट के रूप में अनुमन्य स्पिरिट के नुकसान से संबंधित आबकारी नियमावली के नियम 708, 709 और 813 इस प्रकार हैंः

"708. डिस्टिलरीज में स्पिरिट की क्षति के लिए सरकार का उत्तरदायी न होना – सरकार आग या चोरी, गेजिंग या सबूत या किसी अन्य कारण से डिस्टिलरीज में संग्रहीत स्पिरिट के किसी विनाश, नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। आग या अन्य दुर्घटना के मामले में डिस्टिलरी के प्रभारी अधिकारी तुरंत उपस्थित होंगे और दिन या रात में किसी भी समय परिसर को खोलेंगे।

709. डिस्टिलरियों में स्पिरिट के नुकसान आदि के लिए डिस्टिलर जिम्मेदार –डिस्टिलर अपनी डिस्टिलरी में स्पिरिट के स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और उनकी लापरवाही के कारण सरकार को होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

* * * * * *

813. *अनुमन्य क्षय*– डिस्टिलरी में संग्रहीत विभिन्न प्रकार की स्पिरिट (बोतलबंद स्पिरिट को छोड़कर) के लिए अनुमन्य क्षय इस प्रकार होंगे:

	प्रतिशत
(1) सादी एवं मसालेदार स्पिरिट	0.7

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) अपछनित स्पिरिट एवं परिष्कृत स्पिरिट	0.4
(3) डिनेचर्ड स्पिरिट	0.5

यदि किसी भी प्रकार की स्पिरिट पर कुल अपव्यय 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो अनुमन्य क्षय से अधिक शुद्ध अपव्यय पर शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन यदि कुल अपव्यय 1.5 प्रतिशत से अधिक है तो निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य क्षय को अस्वीकार करते हुए संपूर्ण अपव्यय पर शुल्क लगाया जाएगाः

(1) *सादा और अपछनित स्पिरिट* – सादा स्पिरिट के मामले में देसी स्पिरिट पर लगाए जाने वाले शुल्क की उच्चतम दर पर और परिष्कृत स्पिरिट के मामले में आईएमएफएल पर लगाए जाने वाले शुल्क की उच्चतम दर पर।

(2) *मसालेदार देशी स्पिरिट सहित परिष्कृत स्पिरिट* –उस स्पिरिट पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर से।

(3) *डिनेचर्ड स्पिरिट* –ऐसी स्पिरिट पर लगाए जाने वाले खरीद कर की उच्चतम दर पर शास्ति:

बशर्ते कि उत्पाद शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के लिए यह साबित किया जाता है कि निर्धारित सीमा से अधिक की कमी या बर्बादी किसी दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है, तो ऐसी कमी या बर्बादी पर शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जब अपव्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होता है, तो प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब मासिक स्टॉक लेते समय किसी भी मामले में अतिरिक्त पाया जाता है, तो प्रभारी अधिकारी को डिस्टिलरों से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट के साथ इसे सहायक उत्पाद आयुक्त/उप उत्पाद आयुक्त को भेजना चाहिए। सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त/उप उत्पाद शुल्क आयुक्त अतिरिक्त अपव्यय पर शुल्क लगाएगा यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि निर्धारित सीमा से अधिक अपव्यय किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारण से नहीं हुआ है। यदि किसी दुर्घटना या अपरिहार्य कारण से अतिरिक्त अपव्यय होता है, तो मामले को आदेश के लिए आबकारी आयुक्त को भेजा जाएगा।

35. एक मादक पेय से संबंधित एक प्रमुख गतिविधि, अर्थात्, विदेशी शराब की बॉटलिंग और भंडारण, उत्तर प्रदेश राज्य में 1969 के नियमों द्वारा विनियमित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ साथ–साथ शराब बनाने वाले को बोतल स्पिरिट और शराब की बोतल के लिए बोतल लाइसेंस फॉर्म एफएल–3 में प्रदान करने का प्रावधान है। इस तरह के लाइसेंस की विभिन्न सामान्य शर्तें इन नियमों के नियम 6 में निहित हैं और फिर एफएल–3 लाइसेंस के तहत बांड में आईएमएफएल को बॉटलिंग करने के संबंध में अतिरिक्त विशेष शर्तें नियम 7 में निहित हैं। नियम 7 में बॉटलिंग और भंडारण के वास्तविक संचालन और पर्यवेक्षण के बारे में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान प्रयोजन के लिए, केवल नियम 7 के उपखंड (11) पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है (अन्य उपखंडों का लोप करते हुए, जो प्रासंगिक नहीं है):–

> "7. एफएल–3 लाइसेंस के तहत बॉन्ड में भारत निर्मित विदेशी शराब की बॉटलिंग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तें लागू होंगीः
>
> * * * * * *
>
> (11)(क) बॉटलिंग और भंडारण में वास्तविक नुकसान के लिए एक महीने के दौरान संग्रहीत स्पिरिट की कुल मात्रा पर अनुमन्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

क्षय दर एक प्रतिशत बनाया जा सकता है। लाइसेंसधारी एक प्रतिशत से अधिक अपव्यय पर शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) जब अपव्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होता है, तो उत्पाद शुल्क निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मासिक स्टॉक के समय अतिरिक्त पाया जाता है, तो उत्पाद शुल्क निरीक्षक प्रपत्र एफ. एल. बी.–10 में महीने के पांचवें दिन तक कलेक्टर को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तविक अपव्यय की मात्रा और अतिरिक्त अपव्यय पर लाइसेंसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क का उल्लेख होगा। विवरण प्राप्त होने पर जिलाधीश भारतीय निर्मित विदेशी स्पिरिट पर लगाए जाने वाले शुल्क की पूर्ण दर पर लाइसेंसधारी से शुल्क की वसूली करेगा।

* * * * * * * * *

36. आगे बढ़ने से पहले, हम संक्षेप में यह बता सकते हैं कि इस मामले में आग में नष्ट आईएमएफएल निःसंदेह 1910 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (8), (11) और (22–क) के अर्थ में स्पिरिट, शराब और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के विवरण से मिलती है, क्योंकि यह आसवन द्वारा प्राप्त अल्कोहल युक्त मादक शराब थी और इसका निर्माण प्रतिवादी की डिस्टिलरी में धारा 17 के संदर्भ में दिए गए लाइसेंस के तहत किया गया था और इसे 1910 के अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में स्थापित गोदाम में रखा गया था। इस प्रकार, इस शराब (आईएमएफएल) को भंडारण के स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि इस पर देय उत्पाद शुल्क का भुगतान न किया गया हो या इसके भुगतान के लिए बांड का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निष्पादन न किया गया हो। शुल्क धारा 28 के संदर्भ में देय था और इसकी दर वह थी जो धारा 29 के संदर्भ में वेयरहाउस से इसके जारी होने की तारीख को लागू थी। बॉटलिंग और भंडारण में वास्तविक नुकसान के लिए एक महीने के दौरान संग्रहीत शराब की कुल मात्रा पर 1% तक का क्षय स्वीकार्य था और अन्यथा, कोई क्षय भत्ता स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा, सरकार किसी भी कारण से इस संग्रहीत शराब की मात्रा में किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं थी और दूसरी ओर, डिस्टिलरी, अर्थात्, प्रतिवादी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार था और कुल मात्रा के अनुमेय एक प्रतिशत से अधिक भंडारण के दौरान किसी भी नुकसान के कारण राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी था। इस अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, केवल एक प्रतिशत तक अनुमन्य को छोड़कर, संग्रहीत कुल मात्रा की बर्बादी पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिवादी पूरी तरह से उत्तरदायी था। 1910 के अधिनियम, उत्पाद शुल्क नियमावली और 1969 के नियमों के उपरोक्त उद्धृत उपबंधों के संयुक्त पठन से उभरने वाली इन प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में अवधारण के लिए आवश्यक प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं।

क्या प्रश्नगत मांग विधि द्वारा प्राधिकृत है?

37. उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, प्रतिवादी कंपनी की ओर से प्रकथनों का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि अनुबंधित वेयरहाउस से जारी किया जाना ही उत्पाद शुल्क की मात्रा और गणना का बिंदु है और आग में नष्ट हो गई शराब के संबंध में उस बिंदु/चरण तक नहीं पहुंचने पर उत्पाद शुल्क की मांग का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी कहा किया गया है कि 1969 के नियमों के नियम 7 (11) का कोई उपयोग नहीं है और केवल आबकारी नियमावली का नियम 709 लागू हो सकता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है जिसके लिए डिस्टिलरी की ओर से लापरवाही साबित करने की आवश्यकता है। लागू नियम से संबंधित मुद्दे को उठाने से पहले, हम प्रतिवादी की ओर से उठाए गए मूल प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, अर्थात्, क्या मांग इस कारण से अनधिकृत है कि शुल्क मात्रा और गणना के बिंदु/चरण नहीं पहुंचा था और गोदाम में रहते ही शराब नष्ट हो गई थी।

38. जैसा कि देखा गया है, इस तरह का तर्क कि शराब के जारी किए जाने की स्थिति तक पहुंच न पाने के कारण ड्यूटी की मांग अनधिकृत रहती है, इस तरह से उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय ने उस आधार पर कार्रवाई की थी। चाहे जो भी हो, इसके विपरीत भी तर्क अमान्य रहता है और इसे अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

39. यह एक मौलिक संवैधानिक अधिदेश है और इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, कर का उद्ग्रहण और संग्रहण दोनों विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, जैसा कि *सोमैया ऑर्गेनिक्स* (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यह एक सामान्य बात है कि सूची 2 की प्रविष्टि 51 के आधार पर, राज्य को राज्य में निर्मित या उत्पादित मानव उपभोग के लिए शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रतिवादी कंपनी की ओर से, प्रश्नगत शराब पर, जो आग में नष्ट हो गई थी और विवाद्यक के बिंदु तक नहीं पहुंची थी, उत्पाद शुल्क उद्गृहीत करने के अपीलार्थी–राज्य के प्राधिकार के बारे में उठाए गए प्रश्न का पर्याप्त उत्तर उस घटना और उस बिंदु से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में दिया जा सकता है जहां राज्य को उत्पाद शुल्क उद्गृहीत करने का अधिकार है और उसका भुगतान करने के लिए प्रतिवादी का तत्संबंधी दायित्व अस्तित्व में आता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

39.1 *उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम दिल्ली क्लॉथ मिल्स एवं एक अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 454*, के मामले में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या परिवहन में शराब की बर्बादी पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था और यह अभिनिर्धारित किया कि विभेदक शुल्क, जो अत्यधिक अपव्यय रिपोर्ट किए जाने पर लगाया गया था, उसका उत्पाद शुल्क होना खत्म नहीं हुआ, भले ही यह अतिरिक्त अपव्यय की घोषणा पर लगाया गया था, क्योंकि '*कर योग्य बिन्दु शराब का उत्पादन या निर्माण* था।' इस न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि उत्पाद शुल्क केवल एक बिंदु बना रहा, जो 1910 के अधिनियम की धारा 28 में वर्णित बिंदुओं में से एक बिंदु पर लगाया जा सकता था। इस न्यायालय द्वारा प्रासंगिक टिप्पणियों और विधि की घोषणा को उपयोगी रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

> "8. अधिनियम की मूल धारा 28 को अब इसकी धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है और 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 7 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित धाराएं (2) और (3) स्पष्ट रूप से भारतीय निर्मित विदेशी शराब को शामिल करती हैं।इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि मिलिटरी रम धारा के तहत उत्पाद शुल्क योग्य भारतीय निर्मित विदेशी शराब में से एक है। पहला, यह उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर एक शुल्क है, न कि वस्तुओं की बिक्री या बिक्री से प्राप्त राशि पर। यह उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण से संबंधित है। कर योग्य बिंदु शराब का उत्पादन या निर्माण है। दूसरा, जैसा कि *ए. बी. अब्दुल कादिर बनाम केरल राज्यःए. आई. आर. 1962 एस. सी. 922* के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर लगाया गया उत्पाद शुल्क केवल इसलिए समाप्त नहीं होता है क्योंकि निर्माण या उत्पादन के बाद के चरण में विधिवत लगाया जाता है। यह मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क का था, लेकिन यह सिद्धांत यहां भी समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्टिलरी से शराब जारी करने के चरण लगाए जाने के कारण या अतिरिक्त अपव्यय की घोषणा के बाद एकत्र

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किए जाने के कारण यह उत्पाद शुल्क नहीं रहता। उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण पर सूची–II की प्रविष्टि 51 के तहत विधायी क्षमता केवल राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं से संबंधित है जैसा कि *बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्यः1970 (2) एससीसी 467* के मामले में धारित किया गया। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निर्यात किए गए मिलिटरी रम का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। *मैसूर राज्य बनाम डी. कवासजी 1970 (3) एस. सी. सी. 710* जो मैसूर उत्पाद शुल्क अधिनियम पर था, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्पाद शुल्क निश्चित रूप से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण से निकटता से संबंधित होना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उत्पादन या विनिर्माण के समय न लगाकर बल्कि बाद के चरण में लगाया गया था और भले ही इसे खुदरा विक्रेता से एकत्र किया गया था। इसलिए, इस मामले में अलग–अलग शुल्क का एक उत्पाद शुल्क के रूप में रहना खत्म नहीं हुआ, भले ही यह अतिरिक्त अपव्यय की घोषणा के बाद निर्यातक पर लगाया गया था। कर योग्य बिंदु अभी भी उत्पादन या निर्माण ही था।

* * * * * *

17. यदि किसी खेप में सैन्य रम की मात्रा में से कुछ हिस्से को परिवहन में बर्बादी का दावा किया जाता है और उस सीमा तक निर्यात नहीं किया जाता है, तो राज्य के पास उचित स्पष्टीकरण के अभाव में यह अनुमान लगाने का कारण होगा कि इसका निस्तारण निर्यात के अलावा अन्य तरीके से किया गया है और उस पर अलग–अलग उत्पाद शुल्क लगाया गया है। एक अधिनियम का अर्थ उस शरारत को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए जिसका समाधान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्पाद शुल्क एकल बिंदु शुल्क है और इसे धारा 28 में उल्लिखित बिंदुओं में से किसी एक पर लगाया जा सकता है।

(अंडरलाइन किया गया)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

39. 2. *मेसर्स मोहन मीकिन ब्रूअरी लिमिटेड* (उपर्युक्त) के मामले में, ब्रूअरी में अत्यधिक अपव्यय के संबंध में बीयर की उत्पाद शुल्क कराधान का प्रश्न उठा। *दिल्ली कपड़ा मिल* के मामले में उपर्युक्त निर्णय के साथ–साथ कई अन्य फैसलों और 1910 के अधिनियम की धारा 29 (ङ) (ट) की व्याख्या के संदर्भ में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि शराब (उस मामले में बीयर) पर उत्पाद शुल्क की अनिवार्यता निम्नलिखित शब्दों में निर्माण या उत्पादन के चरण में हुईः –

> "33. उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 29 (ङ) (ट) यह स्पष्ट करती है कि किसी ब्रुअरी में निर्मित बीयर के मामले में, ब्रूअरी से उत्पादित या जारी की गई या किसी गोदाम से जारी की गई मात्रा पर प्रभारित दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि फिल्टरेशन की प्रक्रिया से गुजरने वाली बीयर के संबंध में, फिल्टरेशन प्रक्रिया के अंत में उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा जब इसे भंडारण/बॉटलिंग टैंक में प्राप्त किया जाता है या जब इसे ब्रूवरी से जारी किया जाता है। किण्वन पात्रों से सीधे खींचे गए ड्राट बियर के संबंध में, आगे की प्रक्रिया या निस्पंदन के बिना, उत्पाद शुल्क की निकासी या तो किण्वन प्रक्रिया के अंत में या जब इसे ब्रूवरी से जारी किया जाता है।
>
> (अंडरलाइन किया गया)

40. वही उपबंध [अर्थात्, 1910 के अधिनियम की धारा 29 (ङ) (ट)], जिसकी व्याख्या इस न्यायालय द्वारा किसी ब्रुअरी में विनिर्मित बियर के संबंध में *मेसर्स मोहन मीकिन* के पूर्वोक्त निर्णय में की गई है, धारा 18 के अधीन स्थापित डिस्टिलरी में विनिर्मित स्पिरिट के मामले में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होता है। निःसंदेह, प्रश्नगत शराब प्रतिवादी कंपनी द्वारा धारा 18 के तहत स्थापित अपनी डिस्टिलरी में की गई थी। इस प्रकार उत्पादित शराब आसवन प्रक्रिया के अंत में उत्पाद शुल्क के लिए तब योग्य हो जाती थी जब इसे भंडारण/बॉटलिंग टैंकों में प्राप्त किया जाता था या जब इसे आसवन से जारी किया जाता था। इसे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दूसरे शब्दों में कहें तो कर योग्य बिंदु इस शराब का उत्पादन या निर्माण था, क्योंकि यह वस्तुओं पर एक शुल्क था, न कि वस्तुओं की बिक्री या बिक्री से प्राप्त राशि पर।

41. धारा 19 के अनुसार, कोई भी मादक पदार्थ (और इसमें स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित शराब भी शामिल है) डिस्टिलरी या भंडारण स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क का भुगतान न किया गया हो या उसके भुगतान के लिए एक बांड का निष्पादन न किया गया हो। अधिनियम और नियमों की समग्र योजना पर विचार करते हुए धारा 19 में 'हटाना' अभिव्यक्ति की व्याख्या करना उचित नहीं होगा, जिसमें उत्पादित या विनिर्मित और भंडारित की गई स्पिरिट की कुल मात्रा की अनुमेय सीमा से अधिक की बर्बादी शामिल हो। 1910 के अधिनियम की धारा 17 से 19 और 28 और 29 की योजना और इस न्यायालय के उद्धरणों पर एक व्यापक नजर डालने पर यह संदेह नहीं रह जाता है कि आसवन की प्रक्रिया के अंत में या आसवन से शराब जारी किए जाने के समय शराब उत्पाद शुल्क लगाए जाने के योग्य हो चुकी थी। इस शुल्क की मात्रा का बिंदु, भले ही धारा 29 के प्रावधान के संदर्भ में बिक्री के लिए जारी होने की तारीख से समय के बिंदु से जुड़ा हुआ हो, 'शुल्क लगाए जाने के बिंदु' से संबंधित नहीं है, जो शराब को आसुत करने और बॉटलिंग टैंक में प्राप्त होने या अन्यथा डिस्टिलरी से जारी किए जाने पर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अनुबंधित वेयरहाउस में रखी गई शराब पहले से ही उत्पाद शुल्क के अधीन हो गई थी, जिससे वेयरहाउस से बिक्री के लिए जारी होने की तारीख और समय पर लागू दर के अनुसार शुल्क को प्रभारित किया जाना था। यह दोहराया जाता है कि कर योग्य बिंदु शराब का उत्पादन या निर्माण थी, न कि बिक्री। इस मामले की दृष्टि से, यह तर्क कि प्रश्नगत शुल्क अधिरोपण विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है और भारत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के संविधान के अनुच्छेद 265 द्वारा प्रभावित है, अमान्य है और इसे अस्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

42. जहां तक प्रश्नगत मांग के लिए लागू नियमों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान नियम संचालन में अपव्यय का मामला नहीं था और इसलिए, 1969 के नियमों का नियम 7 (11) लागू नहीं होगा। प्रतिवादी कंपनी ने यह भी तर्क दिया है कि 1969 के नियमों का नियम 7 (11) अप्रयोज्य है और यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने भी आबकारी आयुक्त को आबकारी नियमावली के नियम 709 के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया था, न कि 1969 के नियमों के नियम 7 (11) के तहत, जो केवल संचालन और भंडारण के सामान्य क्रम में अपव्यय से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा आबकारी नियमावली के केवल नियम 709 का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में, डिस्टिलरी को केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब यह दिखाया जा सकता है कि डिस्टिलरी की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण सरकार को नुकसान हुआ है।

43. उपर्युक्त तर्कों के संबंध में, यद्यपि प्रश्नगत मांग आबकारी नियमावली के नियम 709 के लिए अनिवार्य रूप से संदर्भित होगी, लेकिन 1969 के नियमों के नियम 7 (11) में बॉटलिंग और भंडारण में वास्तविक हानि के लिए एक महीने के दौरान संग्रहीत स्पिरिट की कुल मात्रा पर 1% तक के भत्ते का प्रावधान है और लाइसेंसधारी 1% से अधिक अपव्यय पर शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। यह नियम 7 (11) यह स्पष्ट करता है कि भंडारण में होने वाली बर्बादी के संबंध में भी भत्ता एक महीने के दौरान संग्रहीत स्पिरिट की कुल मात्रा का केवल 1 प्रतिशत है। इस प्रावधान को आबकारी नियमावली के नियम 813 के साथ भी पढ़ा जा सकता है, जो निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ डिस्टिलरी में विभिन्न

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रकार की स्पिरिट के लिए मुफ्त अपशिष्ट भत्ता प्रदान करता है, नामतः सादा और मसालेदार स्पिरिट (0.7%), संशोधित और परिष्कृत स्पिरिट (0.4%), और डिनेचर्ड स्पिरिट (0.5%)। इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हालांकि विभिन्न प्रकार की स्पिरिट के लिए अपव्यय भत्ता प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से बोतलबंद स्पिरिट को बाहर रखा गया है।

44. कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर एक व्यापक दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि जहां तक आईएमएफएल का संबंध है, बोतलबंद स्पिरिट के संबंध में किसी भी बर्बादी भत्ते के लिए उत्पाद शुल्क नियमावली में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन 1969 के नियमों के नियम 7 (11) के अनुसार, एक महीने के दौरान संग्रहीत की गई स्पिरिट की कुल मात्रा पर 1% तक के भत्ते को बॉटलिंग और भंडारण में वास्तविक नुकसान के लिए अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की बर्बादी या हानि के लिए कोई भी भत्ता, जाहिर है, अननुज्ञेय है। यह तर्क अबूझ नहीं है। जैसा कि देखा गया है, आसवन की प्रक्रिया से गुजरी शराब के संबंध में, आसवन प्रक्रिया के अंत में या जब इसे आसवन से जारी किया गया, तब वह उत्पाद शुल्क के योग्य हो गयी। इस प्रकार, बोतलबंद स्पिरिट की कोई भी हानि या बर्बादी सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क की हानि होगी, जो पहले से ही वसूली योग्य हो गई थी। नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने लाइसेंसी को महीने के दौरान संग्रहीत स्पिरिट की कुल मात्रा पर 1% से अधिक अपव्यय पर शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाते समय यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है कि किसी भी अपव्यय के कार्य द्वारा बोतलबंद स्पिरिट के आधार पर सरकार को उत्पाद शुल्क राजस्व की कोई हेराफेरी न हो। इस प्रकार, न तो प्रतिवादी कंपनी की ओर से तर्क और न ही नियम 7 (11) की अप्रयोज्यता के बारे में उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ स्वीकार की जा सकी। दूसरे शब्दों में, 1969 के नियमों के नियम 7 (11) को कानूनी परिणामों के लिए ध्यान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में रखना आवश्यक है कि जहां तक बोतलबंद स्पिरिट का संबंध है, लाइसेंसी 1% से अधिक किसी भी प्रकार की बर्बादी पर शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इस प्रावधान के साथ, आबकारी नियमावली के नियम 709 में यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्टिलरी स्पिरिट के स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उनकी लापरवाही से सरकार को होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है।

45. इसलिए, प्रतिवादी कंपनी की ओर से उठाए गए कानूनी मुद्दे का एक सीधा जवाब यह है कि प्रश्नगत मांग को अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन, इसकी वैधता इस सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी कि क्या उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 709 के संदर्भ में प्रतिवादी कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया जा सकता है। हम चर्चा के अगले खंड में इस प्रश्न से संबंधित विभिन्न विशेषताओं की जांच करेंगे।

क्या प्रतिवादी कंपनी आग में नष्ट शराब पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

46 जैसा कि देखा गया है, प्रश्नगत आग की घटना ने आबकारी आयुक्त को प्रतिवादी कंपनी से आग में नष्ट हुए आईएमएफएल के स्टॉक पर उत्पाद शुल्क की वसूली का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया और प्रतिवादी कंपनी ने कहा कि यह घटना मानव नियंत्रण से परे कारणों से हुई थी और इसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। तथापि, अंततः, आबकारी आयुक्त ने अन्य बातों के साथ साथ साथ–साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए 11.07.2006 दिनांकित आदेश पारित किया कि प्रतिवादी कंपनी ने अच्छी गुणवत्ता के अग्नि रोधी विद्युत उपकरणों की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवस्था नहीं की थी, जिसके कारण यह घटना हुई थी और डिस्टलिरी में स्टॉक के साथ हुई लापरवाही को दैवीय कृत्य नहीं कहा जा सकता । उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि आबकारी आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सारहीन था एवं अनुमानों पर आधारित था। उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि जब कोई राजकोषीय दायित्व पूर्ववर्ती शर्त, अर्थात् संबंधित व्यक्ति की ओर से की गई लापरवाही पर स्थापित किया गया हो, तब कोई जिम्मेदारी तब तक तय नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी लापरवाही किसी सामग्री पर आधारित न हो। अपीलार्थी के अनुसार, प्रश्नगत घटना के लिए प्रतिवादी कंपनी की ओर किसी लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और यह ईश्वर का कार्य नहीं था क्योंकि विद्युत अवस्थापना और शॉर्ट सर्किट में गलती के कारण ऐसा हुआ और घटना से बचा जा सकता था यदि प्रतिवादी कंपनी द्वारा उचित और आवश्यक देखभाल की गई होती। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से, हालांकि, दैवीय कृत्य से संबंधित सिद्धांतों का हमारे सामने इस प्रकार उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन तर्क यह है कि आग स्पिरिट के स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा बनाए रखने में प्रतिवादी कंपनी की ओर से किसी लापरवाही के कारण नहीं हुई थी और यह घटना ऐसी थी जो मानव नियंत्रण से परे कारणों से हुई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि पूरी डिस्टिलरी (गोदाम सहित) विभाग के लॉक और चाबी के तहत है और विभाग डिस्टिलरी पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण कर रहा है और इसलिए, प्रतिवादी पर लापरवाही की बात अधिरोपित नहीं की जा सकती।

डिस्टिलरी और गोदाम पर विभाग के नियंत्रण का प्रभाव:

47. विरोधी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम डिस्टिलरी और गोदाम पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण से संबंधित मुद्दे से शुरू कर सकते हैं। प्रतिवादी कंपनी की ओर से इस संबंध में दिए गए तर्क निराधार हैं और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया गया है। 1910 के अधिनियम, 1969 के नियम और उत्पाद शुल्क नियमावली की योजना में यह स्पष्ट है कि सरकार आग या चोरी या किसी अन्य कारण से डिस्टिलरी में संग्रहीत किसी भी स्पिरिट के विनाश, नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है (उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 708 के अनुसार)। दूसरी ओर, डिस्टिलरी को स्पिरिट के स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया है और उसे उनकी लापरवाही के कारण सरकार को हुए किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया है।

47.1 अपीलार्थी की ओर से यह उचित ही प्रतिवाद किया गया है कि डिस्टिलरी में आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य राजस्व संग्रह करके राज्य के हितों की रक्षा करना और चोरी, बर्बादी, अवैध बिक्री के किसी भी कार्य पर रोक लगाना और नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। आबकारी नियमावली का नियम 736 यह स्पष्ट करता है कि उन भवनों या कमरों के दरवाजे जिनका उपयोग स्पिरिट के भंडारण के लिए किया जाता है, उन पर दोहरे ताले हैं, जहां एक ताला आबकारी विभाग का है और दूसरा डिस्टिलरी का है। 1969 के नियमों और उत्पाद शुल्क नियमावली के अन्य प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिस्टिलरी की सामान्य व्यवस्था और प्रबंधन के संबंध में,विस्तृत प्रावधान किए गए हैं जैसे कि पाइप कैसे बिछाए जाएंगे, फिक्स किए जाएंगे और पेंट किए जाएंगे, कि कैसे लॉक ताले जड़े जाएं आदि। डिस्टलरी के प्रबंधन में छोटे से परिवर्तन के लिए भी आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति (नियम 771) आवश्यक होती है और मरम्मत आदि की भी सूचना देनी होती है (नियम 772). उनके विवरण पत्र में प्रत्येक चरण में डिस्टिलरी के कामकाज पर आबकारी विभाग के सख्त पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रावधान है, लेकिन यह पर्यवेक्षण और नियंत्रण डिस्टिलरी को स्पिरिट के भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा और अपव्यय से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बचने की दिशा में अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। इस संबंध में किसी भी संदेह को उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 708 और 709 और 1969 के नियमों के नियम 7 (11) के संयुक्त अध्ययन से प्रभावी रूप से दूर किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी कंपनी की ओर से इस संबंध में किए गए आग्रह को अस्वीकार किया जाता है.

लापरवाही

48. अब, इस मामले के मूल में प्रवेश करने के लिए, अर्थात्, क्या आग में शराब के नष्ट होने से सरकार को हुई राजस्व की हानि के लिए प्रतिवादी कंपनी की ओर हुई किसी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, हम लापरवाही के आधार पर बनने वाले दायित्व से संबंधित कानूनी सिद्धांतों और लापरवाही के आधार पर किसी भी दावे के संबंध में अपवादों और बचाव को पर भी ध्यान दे सकते हैं।

49. "लापरवाही" "अपकृत्य" का एक ऐसा वर्ग है जो दायित्व की ओर ले जाता है। "उत्तरदायित्व" का न्यायशास्त्रीय सिद्धांत सालमण्ड के न्यायशास्त्र[9] में सटीक रूप से निम्नवत परिभाषित है:–

> "उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी आवश्यकता का बंधन है जो अपराधी और गलती के उपचार के बीच मौजूद होती है।"

"दायित्व" कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है, जो किसी कार्य या चूक के रूप में हो सकता है। हमें, वर्तमान प्रयोजन के लिए, उत्तरदायित्व के सिविल या क्रिमिनल और उपचारात्मक या दांडिक लक्षणों के वर्गीकरण पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, हम मुख्य रूप से लापरवाही से

---

9 12 वां संस्करण, पृ. 349

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उत्पन्न दायित्व के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। अंतर्वलित प्रश्नों और लागू उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, शब्दकोशों और विनिश्चित मामलों के संदर्भ में 'लापरवाही' शब्द के अर्थ और भाव को समझना उचित होगा।

49.1 कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी[10] में लापरवाही शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया और समझाया गया हैः–

> *"लापरवाही* किसी बात पर उचित ध्यान देने में विफलता, *विधि*– सावधानी के कर्तव्य का उल्लंघन जिससे क्षति हुई हो"

इस पद का विशेषण 'लापरवाह' है और इसका क्रिया विशेषण 'लापरवाही से' है। गहराई से समझने के लिए इन अभिव्यक्तियों को क्रिया 'उपेक्षा करना,लापरवाही करना' के साथ सहसंबद्ध करने की आवश्यकता है जिसे उसी शब्दकोश में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया और समझाया गया हैः–

> "उपेक्षा करना – क्रि. उचित देखभाल या ध्यान देने में विफल रहना। कुछ करने में विफल– सं. उपेक्षा करने की दशा या प्रक्रिया – कुछ करने में विफलता।

49.2. वेबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी[11] में 'लापरवाह' और 'लापरवाही' शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया और समझाया गया हैः–

> "उपेक्षा, लापरवाही करना 1 a: कम या कोई ध्यान या सम्मान नहीं देना: इस प्रकार से व्यवहार करना जैसे इसका कोई महत्व न हो या कम महत्व हो। न मानना, कम < कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों को ~ed –ब्रूस पेन> <~ed छात्रों की वास्तविक आवश्यकता> b : सम्यक या पर्याप्त ध्यान न देना : उचित ध्यान न देना ... 2 : लापरवाही से कुछ करने में चूक (वह जो किया

---

10 11 वां संस्करण, पृ. 958.

11 1976 संस्करण खं. II पृ. 1513

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जाना था) या पूरी तरह या लगभग पूरी तरह : लापरवाही या आशय से अपूर्ण या बिना ध्यान दिए छोड़ना :

"लापरवाही 1 a : लापरवाह होने की स्थिति या प्रक्रिया b : जैसा एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति करता वैसा न करना;"

49.3 ब्लैक की लॉ डिक्शनरी[12] में 'लापरवाही' और इसके कई रूपों और विशेषताओं को समझाया गया है। वर्तमान प्रयोजन के लिए, हम उपयोगी रूप से निम्नलिखित प्रासंगिक अंशों को उद्धृत कर सकते हैं:–

"लापरवाही,(14 ग) 1. देखभाल के मानक का प्रयोग करने में विफलता जो कि एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति ने समान स्थिति में प्रयोग की होगी; कोई भी आचरण जो दूसरों को नुकसान के अनुचित जोखिम से बचाने के लिए स्थापित कानूनी मानक से नीचे आता है, उस आचरण को छोड़कर जो जानबूझकर, जानबूझकर, या जानबूझकर दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करता है; एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में क्या नहीं करेगा, या ऐसा करने में विफलता जो ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में करेगा...

सक्रिय लापरवाही(1875) किसी सकारात्मक या सही कार्य के परिणामस्वरूप होने वाली लापरवाही, जैसे कि अवरोध के माध्यम से गाड़ी चलाना Cf निष्क्रिय उपेक्षा।

जानबूझकर लापरवाही (1909) लापरवाही जिसमें कर्ता को इस अनुचित जोखिम के बारे में पता है कि वह या वह गंभीर लापरवाही कर रहा है।

आकस्मिक लापरवाही एक वादी की विफलता (1) अपने परिवेश पर उचित ध्यान देने में वादी की असफलता, जिससे कि प्रतिवादी की लापरवाही से उत्पन्न खतरे का पता लगाया जा सके, (2) एक बार खतरे से बचने के लिए

---

12 10th संस्करण पृ. 1196–1198

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उचित योग्यता, देखभाल, परिश्रम और कौशल का उपयोग किया जा सके, या (3) भविष्य के खतरों से बचने के लिए एक तर्कसंगत व्यक्ति की तरह तैयार हो सके।

घोर लापरवाही(16 ग) 1.थोड़ा सा भी परिश्रम या देखभाल की कमी।

घोर उपेक्षा और *साधारण उपेक्षा* के बीच अंतर मात्रा का है, गुणवत्ता का नहीं। पारंपरिक रूप से घोर लापरवाही को इस तरह के काम में भी की चूक कहा जाता है जैसे कि आदतन लापरवाह और असावधान लोग वास्तव में अपने स्वयं के प्रति या संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। – जानबूझकर और मनमाने तरीके से किया गया कदाचार भी कहा जाता है 2. किसी कानूनी कर्तव्य के प्रति लापरवाही और दूसरे पक्ष को होने वाले परिणामों की सचेत अवहेलना, जो आमतौर पर उदाहरणीय भरपाई वसूल सकते हैं। लापरवाही; प्रचंड लापरवाही; इरादतन लापरवाही; इरादतन और प्रचंड लापरवाही; इरादतन और प्रचंड कदाचार; खतरनाक लापरवाही; बड़ी लापरवाही।

अनजाने में लापरवाही(18 ग) लापरवाही, जिसमें कर्ता को उस अनुचित जोखिम के बारे में पता नहीं है, जो वह पैदा कर रहा है, लेकिन इसे पहले से ही देख लेना चाहिए था और इससे बचना चाहिए था। साधारण लापरवाही भी कहा जाता है।

निष्क्रिय उपेक्षा.(18 सी) कार्य करने में किसी व्यक्ति की विफलता या चूक के परिणामस्वरूप लापरवाही, जैसे सार्वजनिक संपत्ति से खतरनाक स्थितियों को हटाने में विफल रहना। Cf. सक्रिय उपेक्षा.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

49.4 पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन[13] में अन्य बातों के साथ–साथ 'लापरवाही' पद के विभिन्न अर्थों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:–

> *"लापरवाही.* उस देखभाल का उपयोग करने में विफलता जो एक तर्कसंगत और विवेकशील व्यक्ति उस या वैसी परिस्थितियों में उपयोग करता।
>
> कानून में लापरवाही कर्तव्य पालन में कमी को दर्शाती है।
>
> ऐसी देखभाल का उपयोग करने में विफलता जो एक विवेकपूर्ण और सावधान व्यक्ति समान परिस्थितियों में उपयोग करेगा।
>
> लापरवाही "ऐसी देखभाल, सतर्कता और सजगता की कमी है, जैसी परिस्थितियों के तहत उचित और सामान्य विवेक द्वारा उपयोग किया जाता।"

50. न्यायशास्त्र पर साल्मंड[14] में ग्रिल बनाम जनरल आयरन स्क्रू कोलियरी कं.: (1866) एल. आर. 1 सी. पी. को संदर्भित किया गया है कि लापरवाही *"ऐसी देखभाल की अनुपस्थिति है जैसा करना प्रतिवादी का कर्तव्य था "* आगे आशयित एवं अनाशयित लापरवाही के सूक्ष्म अंतर की व्याख्या की गयी है–

> दूसरी बात यह है कि लापरवाही या बेपरवाही आवश्यक रूप से विचार या अनाशयता में शामिल नहीं है। निःसंदेह यह इसका सबसे सामान्य रूप है, लेकिन यह एकमात्र रूप नहीं है। अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैंने विचार नहीं किया और अपने काम की खतरनाक प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया , या मूर्खतापूर्ण तरीके से यह मानता था कि कोई खतरा नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से लापरवाही का दोषी हूं। लेकिन एक और प्रकार की लापरवाही है, जिसमें कोई असावधानी या लापरवाही नहीं है। अगर मैं किसी भीड़भाड़ वाली सड़क

---

13 5 वां संस्करण खंड 3 पृ. 3435

14 उपरोक्त पृ. 380

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर गुस्से से गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे इस बात का पूरा एहसास होगा कि मैं दूसरे लोगों को कितने गंभीर जोखिम में डाल सकता हूं। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं जानबूझकर और जानते हुए उन्हें खतरे में डालता हूं। फिर भी अगर कोई घातक दुर्घटना होती है, तो मैं, कम से कम, जानबूझकर नहीं, तो लापरवाही से की गई हत्या के लिए जिम्मेदार हूं। जब मैं जानबूझकर किसी अन्य को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाता हूं, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा के बिना, और वास्तव में नुकसान होता है, तो यह जानबूझकर किया माना जाएगा, क्योंकि यह वांछित नहीं था, न ही अनजाने में, क्योंकि यह संभव था या यहां तक कि संभावित भी था, लेकिन फिर भी लापरवाही से हुआ माना जाएगा (सी)।

लापरवाही तब पर्याप्त देखभाल का उपयोग करने में विफलता होती है, और यह विफलता विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है।"

51. इस विषय पर विधि व्यवस्थाओं को और बढ़ाए बिना, *महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम कंचनमाला विजयसिंह शिर्के एवं अन्य (1995) 5 एससीसी 659* वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में समझाए गए 'लापरवाही' शब्द के निर्वचन पर ध्यान देना पर्याप्त होगा जिसमें कहा गया है:–

"9... 'लापरवाही' कुछ ऐसा करने की चूक है जो एक तर्कसंगत व्यक्ति से करने की उम्मीद की जाती है या एक विवेकशील व्यक्ति से करने की उम्मीद की जाती है।"

52. इसलिए, वर्तमान प्रयोजन के लिए यथोचित रूप से संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उस सावधानी का प्रयोग करने में विफलता, जो एक युक्तियुक्त रूप से विवेकशील व्यक्ति आमतौर पर इसी तरह की परिस्थितियों में प्रयोग करता है, लापरवाही के रूप में माना जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि लापरवाही हमेशा आशयित हो जहां अपराधी को अनुचित जोखिम पैदा होने की जानकारी हो, लेकिन यह असावधानी या निष्क्रिय भी हो सकता है, जो दूरदर्शिता की कमी या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किसी चूक के कारण उत्पन्न होती है। तथापि, यह प्रश्न कि क्या लापरवादी के कारण दायित्व प्रतिवादी कंपनी पर थोपा जा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण उपेक्षा के अभिकथन के अपवाद और बचाव से संबंधित अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना नहीं किया जा सकता है।

दैवीय कृत्य

विभाग और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावों में, प्रतिवादी कंपनी ने 'दैवीय कृत्य' से संबंधित सिद्धांतों का अवलंब लेने का प्रयास किया और यह सुझाव देने की कोशिश की गई कि यदि कंपनी द्वारा पूरी तरह से ध्यान दिए जाने के बावजूद आग लगी, तो यह कुछ और नहीं बल्कि दैवीय कृत्य था, जिस पर किसी भी तरह का मानवीय नियंत्रण नहीं था। उच्च न्यायालय ने प्रकथनों के इस हिस्से को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि हमारे समक्ष तर्क में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस सिद्धांत पर अधिक जोर नहीं दिया है, लेकिन प्रासंगिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह उचित होगा कि दैवीय कृत्य से संबंधित कुछ विशेषताओं और दायित्व के न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में इसके अर्थ पर ध्यान दिया जाए।

54. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन[15] में 'दैवीय कृत्य' या 'अनहोनी' शब्द के विभिन्न अर्थों को ग्रंथ और उद्धरणों के संदर्भ में विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान उद्देश्य के लिए कुछ प्रासंगिक पहलुओं को उपयोगी रूप से नीचे उद्धृत किया जा सकता हैः–

> "सभी प्राकृतिक चीजें, मानवीय गतिविधियों के विपरीत, दैवीय कृत्य का गठन करती हैं, न कि केवल उनमें जिनमें असाधारण मात्रा में हिंसा होती हैं या बहुत असामान्य घटनाएं। यह अंतर केवल प्रकार का है न कि मात्रा का। घटना की हिंसा या दुर्लभता केवल इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है कि

15 5 वां संस्करण पृ.83

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

क्या इसे उचित देखभाल से रोका जा सकता था या नहीं: यदि ऐसा नहीं हो सका तो यह दैवीय कार्य है जो दायित्व से मुक्ति दिलाएगा, चाहे उसका कारण कितना ही छोटा या सामान्य क्यों न रहा हो। यदि यह सही है, तो घटना की अप्रत्याशित प्रकृति केवल यह दिखाएगी कि प्रश्नगत दैवीय कार्य ऐसा था जिसे प्रतिवादी को पूर्वानुमान लगाने या उसके खिलाफ उपाय करने का कोई कर्तव्य नहीं था। केवल ऐसे मामले में ही दैवीय कार्य बचाव प्रदान करेगा। " –आर. एफ. वी. ह्यूस्टन. सालमंड ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स 330 (17 वां संस्करण 1977)।

"एक प्राकृतिक कार्य जैसे तूफान, बाढ़ या भूकंप जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और आमतौर पर किसी व्यक्ति को इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं बनाता।

ऐसी कोई भी घटना जो इतनी असामान्य हो कि इसे किसी भी मात्रा में मानवीय देखभाल और प्रयास से रोका नहीं जा सकता था, जैसे बिजली, ज्वारीय लहरें या बाढ़ आदि, जो एक ठेकेदार जैसे कि माल वाहक को राहत देती है एवं इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए किसी भी देनदारी से मुक्त करती है।

"..यह माना जा सकता है कि इसमें गंभीर आंधी, बर्फीले तूफान, तूफान, चक्रवात और ज्वार–भाटा जैसी प्रकृति की अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हैं। लेकिन प्रत्येक अप्रत्याशित हवा और तूफान दायित्व से मुक्त होने के एक बहाने के रूप में काम नहीं करते हैं, यदि उनके होने का पूर्वानुमान लगाने की उचित संभावना हो। दैवीय कार्य कोई बहाना नहीं देता है, जब तक कि यह इतना अप्रत्याशित न हो कि समय और स्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी उचित मानव दूरदर्शिता से घटना का पूर्वानुमान न लगाया जा सके।"

54.1 *महादेव शेट्टी* (उपर्युक्त) का मामला एक वाहन दुर्घटना में घायल होने के कारण दावेदार को हुई हानि से संबंधित है, जिसने उसे पैराप्लेजिक बना दिया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिस बस में वह एक यात्री था, वह ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद गड्ढे में गिर गई। उसके दावा याचिका के विरोध में अपीलकर्ता निगम का रुख यह था कि दुर्घटना उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह दैवीय कृत्य था। इस संदर्भ में न्यायालय ने मानवीय चूक के विपरीत दैवीय कृत्य से संबंधित तत्वों की विवेचना की–

> "9. "दैवीय कृत्य" पद मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त प्राकृतिक बलों जैसे बिजली, तूफान आदि के संचालन को दर्शाती है। इसमें गंभीर आंधी, बर्फीले तूफान, तूफान, चक्रवात, ज्वारीय लहरें और इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन प्रत्येक अप्रत्याशित हवा और तूफान दायित्व से मुक्त होने के एक बहाने के रूप में काम नहीं करते हैं, यदि उनके होने का पूर्वानुमान लगाने की उचित संभावना हो। दैवीय कार्य कोई बहाना नहीं देता है जब तक कि यह इतना अप्रत्याशित न हो कि समय और स्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी उचित मानव दूरदर्शिता घटना का पूर्वानुमान न लगा सके। उदाहरण के लिए, जहां कई वर्षों के अनुभव से निवारक कार्रवाई की जा सकती है, लॉर्ड वेस्टबरी ने दैवीय कार्य (स्कॉच कानूनों में डैमनम फेटेल) को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया, जिसके खिलाफ कोई भी मानव दूरदर्शिता कार्य नहीं कर सकती है और जिसकी संभावना को पहचानने के लिए मानव विवेक बाध्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दैवीय कार्य के सच्चे अर्थ के प्रति निकटतम दृष्टिकोण है। लार्ड ब्लैंकबर्ग ने इसे हमारे मानवीय प्रयासों को नकारते हुए होने वाली अकाट्य घटना बताया जिसके बारे में न जाना जा सके।"

54. 2 *वोहरा सदिकभाई राजाभाई* (पूर्वोक्त) के मामले में, प्रतिवादी द्वारा बनाए गए एक बांध से छोड़े गए पानी ने अपीलार्थी की भूमि को भर दिया और उसमें वृक्षारोपण को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आगामी मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए पानी के निम्न स्तर को बनाए नहीं रखने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में प्रतिवादीगण की ओर से यह सरासर लापरवाही थी और इसलिए, अपीलार्थी को हुई क्षति का संबंध सीधे तौर पर लापरवाही के पूर्वोक्त कार्य से था और इसे बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए, प्रत्यर्थी इसे दैवीय कार्य नहीं कह सकते और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले दायित्व से मुक्त नहीं कर सकते। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के मामले को स्वीकार किया कि उन्हें भारी बारिश ने पानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और यह कि अपीलार्थी की भूमि नदी के किनारे स्थित थी और, इसलिए, भारी बारिश के कारण, नदी ओवरफ्लो हो सकती थी जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्थिति में पानी अपीलार्थी के खेतों में प्रवेश कर सकता था।

54.2. 1 अपील में, इस न्यायालय ने, इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या यह घोर लापरवाही का मामला था, टिप्पणी की कि प्रतिवादी अपीलार्थी के आरोपों का ठीक से खंडन नहीं किया कि आगामी मानसून को देखते हुए उचित स्तर पर पानी का रखरखाव नहीं किया गया था। उन्होंने इस आशय की अपनी दलील का भी समर्थन नहीं किया कि अगर पानी छोड़ा नहीं गया होता, तो यह बांध को तोड़ देता और इस कृत्य से अधिक सार्वजनिक नुकसान होता। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बांध का निर्माण और रखरखाव प्रतिवादी द्वारा किया जाता था और अपीलार्थी को कथित बांध से पानी छोड़ने के परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ा था, यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी कि उन्होंने बांध में पानी के उचित स्तर को बनाए रखने में उचित सावधानी बरती थी। इस न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी प्रश्नगत बांध के मालिक थे और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बांध को ऐसी स्थिति में रखेंगे जिससे पड़ोसियों या राहगीरों को किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति से बचाया जा सके। इस न्यायालय ने पाया कि केवल यह कहने से कि मानसून की बारिश के कारण बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है और पानी को सार्वजनिक हित में छोड़ा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया था, इसे लापरवाही के आरोप को दूर करने वाली प्रतिवादी की दलील नहीं माना जा सकता। "दैवीय कार्य" के बचाव को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्या की:–

> "22....दैवीय कार्य वह है जो प्रकृति का प्रत्यक्ष, हिंसक, आकस्मिक और अप्रतिरोध्य कार्य है, जिसका किसी भी प्रकार की योग्यता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था, या यदि पूर्वानुमान लगाया गया होता, तो मानव देखभाल और कौशल की किसी भी मात्रा से रोका नहीं जा सकता था। आम तौर पर, वे कार्य जो प्रकृति की प्राथमिक शक्तियों के कारण होते हैं, जो मनुष्य या अन्य कारण से जुड़े नहीं होते हैं, वे दैवीय कार्यों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए: तूफान, आंधी, बिजली, बारिश का असाधारण गिरना, असाधारण उच्च ज्वार, असाधारण गंभीर बर्फ, या एक ज्वारीय बोर जो बीच पानी में जहाज डुबो देता है। यहां महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये अनोखा हो या ये पहली बार हो। यह पर्याप्त है कि यह असाधारण है और जैसा कि उचित रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।"

54.3 *पटेल रोडवेज* (उपर्युक्त) का मामला अनिवार्य रूप से एक सामान्य वाहक के दायित्व से संबंधित था जब उसे सौंपा गया माल अपीलकर्ता के गोदाम में लगी आग में नष्ट हो गया था। जहां तक एक सामान्य वाहक के दायित्व के संबंध में लापरवाही का प्रश्न है, इस न्यायालय ने *सरकार ऑन एविडेंस* (15 वां संस्करण, 1999) के पृष्ट 1724 के एक पैराग्राफ से एक उद्धरण संदर्भित किया और धारित किया कि एक नियम के रूप में लापरवाही की उपधारणा नहीं की जानी चाहिए। बल्कि यह उपधारणा की जानी चाहिए कि सामान्य सावधानी बरती गयी। लेकिन यह नियम उन आम वाहकों के मामले में लागू नहीं होता है, जिन्हें सार्वजनिक नीति के आधार पर, यह माना जाता है कि यदि उनकी देखभाल में सौंपे गए सामान खो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं या डिलीवरी में देरी हुई है तो लापरवाही की गई है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

55. वर्तमान मामला ऐसा नहीं था कि तूफान, बाढ़, बिजली या भूकंप जैसी प्रकृति की शक्तियों के कारण कुछ हुआ हो या आग लगी हो। जब किसी बाहरी प्राकृतिक शक्ति द्वारा कुछ भी औचक या हिंसक तरीके से न हुआ हो, तो प्रश्नगत आग की घटना कानूनी भाषा में कुछ भी हो लेकिन दैवीय कार्य नहीं थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियां ठोस प्रतीत नहीं होती हैं और इन्हें अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

अपरिहार्य दुर्घटना

56. प्रतिवादी कंपनी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष तर्क यह दिया गया कि कंपनी ने सभी सावधानियां बरती थीं जो उससे अपेक्षित थीं और फिर भी यदि आग की घटना हुई, तो यह कुछ ऐसा था जो मानव नियंत्रण से परे था जिसके लिए प्रतिवादी कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। तर्क की इस पद्धति को, अधिक से अधिक, उत्तरदायित्व को शासित करने वाले नियमों के एक अन्य अपवाद के रूप में लिया जा सकता है, जहां अपरिहार्य दुर्घटना को आमतौर पर अपवाद के आधार के रूप में मान्यता दी जाती है। एक बार फिर, हम साल्मंड[16] द्वारा बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं:

> गलती की तरह, दुर्घटना या तो सदोष होती है या अपरिहार्य होती है। यह उस स्थिति में सदोष होती है जब लापरवाही की वजह से होती है, लेकिन तब अपरिहार्य होती है जब इससे बचने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित मानक से अधिक देख–रेख की आवश्यकता होती है। सदोष दुर्घटना कोई बचाव नहीं है, सिवाय उन असाधारण मामलों के जिनमें गलत इरादा उत्तरदायित्व का विशिष्ट और आवश्यक आधार है। अपरिहार्य दुर्घटना आमतौर पर सिविल और आपराधिक कानून दोनों में एक अच्छा बचाव है।

---

16 उपरोक्त पृ. 399

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

> तथापि, इस नियम के कम से कम सिविल विधि में महत्वपूर्ण अपवाद हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनमें कानून इस बात पर जोर देता है कि कोई व्यक्ति अपने जोखिम पर कार्य करेगा और दुर्घटना होने की संभावना का लाभ उठाएगा। यदि वह जंगली जानवरों (एफ) को रखना चाहता है, या पानी के जलाशय का निर्माण करना चाहता है (जी), या अपनी भूमि पर कोई भी ऐसा पदार्थ जमा करना चाहता है जो उसके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा सकता है यदि वह रिस जाता है (एच), तो वह इन सभी चीजों को खुद करेगा (हालांकि उनमें से कोई भी गलत नहीं है), और आने वाले सभी नुकसान के लिए जवाबदेह होगा, भले ही आवश्यक सावधानी बरती गयी हो।

57. प्रतिवादी कंपनी द्वारा इस संबंध में "अपरिहार्य दुर्घटना" वाले तर्क को स्वीकार करने के लिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रश्नगत आग की घटना को रोकने के लिए प्रतिवादी कंपनी को विधि द्वारा अपेक्षित मानक से परे या उससे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती। इस प्रकार सवाल यह होगा कि प्रश्नगत शराब की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सामान्य और उचित आवश्यकता क्या थी और क्या प्रतिवादी कंपनी, ऐसी सभी सामान्य और उचित आवश्यकताओं पर ध्यान देने के बावजूद, प्रश्नगत आग को नहीं रोक सकती थी। इस प्रश्न का समुचित उत्तर ढूंढते समय, हमें अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ–साथ सभी आसपास के कारकों और परिस्थितियों पर भी समग्र रूप से विचार करना होगा। इस संबंध में, आगे बढ़ने से पहले, हम एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत– चीजें खुद बोलती हैं–का सहारा ले सकते हैं जिसके द्वारा लापरवाही को केवल दुर्घटना के तथ्य से ही माना जा सकता है, उपधारणा दुर्घटना की प्रकृति और आसपास के कारकों पर निर्भर करती है।

चीजें खुद बोलती हैं

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

58. *चीजें खुद बोलती हैं* इस कहावत को समझने के लिए हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को उपयोगी रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं। निश्चित ही ये निर्णय वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित हैं, लेकिन उनमें निहित सिद्धांत यही है– *चीजें खुद बोलती हैं*।

58.1 *श्याम सुंदर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्यः(1974) 1 एस. सी. सी. 690* एक ऐसा मामला था जहां पीड़ित एक ट्रक में यात्रा कर रहा था जिसके इंजन में आग लग गई और वाहन से कूदते समय वह सड़क के किनारे एक पत्थर पर टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उस मामले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल ट्रक में आग लगना चालक की ओर से लापरवाही का सबूत नहीं होगा और इस उक्ति का कोई प्रयोग नहीं होगा। तथापि , इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को इंगित किया और अभिनिर्धारित किया :–

> "9... चीजें खुद बोलती हैं इस उक्ति का सहारा तब लिया जाता है जहाँ कोई दुर्घटना हुई हो जिसका कारण प्रतिवादी के संज्ञान के भीतर हो। केवल यह तथ्य कि दुर्घटना का कारण अज्ञात है, अभियोक्ता को नुकसान की वसूली करने से नहीं रोकता है, यदि परिस्थितियों से लिया जाने वाला उचित निष्कर्ष, जो ज्ञात हैं, यह है कि यह प्रतिवादी की लापरवाही के कारण हुआ था। दुर्घटना का तथ्य कभी–कभी लापरवाही का साक्ष्य बन सकता है और तब यह उक्ति *चीजें खुद बोलती हैं* लागू होती है।

58.1. इस न्यायालय ने तब स्कॉट बनाम लंदन एवं सेंट कैथरीन डॉक्स (1865) 3 एच एंड सी 596, 601 के मामले से निम्नलिखित उद्धरण दिया:–

> "... जहां किसी चीज को प्रतिवादी या उसके नौकरों के प्रबंधन के तहत दिखाया गया है, और दुर्घटना ऐसी है कि चीजों के सामान्य क्रम में ऐसा नहीं होता है, यदि प्रबंधन वाले लोग उचित देखभाल करते हैं, तो यह वहन करता

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है कि उचित साक्ष्य, प्रतिवादियों द्वारा स्पष्टीकरण के अभाव में, कि दुर्घटना देखभाल के अभाव में हुई।"

58.1.2 इस न्यायालय ने उपेक्षा जनित लापरवाही के मामलों में इस उक्ति के प्रचालन की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया :–

"दुर्घटना का केवल होना अन्य कारणों की तुलना में प्रतिवादी की ओर से की गई लापरवाही के साथ अधिक संगत हो सकता है। यह उक्ति सामान्य बुद्धि पर आधारित है और इसका उद्देश्य न्याय करना है जब कार्यकारण और प्रतिवादी द्वारा बरती गयी सावधानी से संबंधित तथ्य शुरू में वादी के लिए अज्ञात हों और प्रतिवादी की जानकारी में हों या होने चाहिए (देखें बार्कवे बनाम एस. वेल्स ट्रांसो [(1950) 1 ऑल ईआर 392,399])।"

58.2 पुष्पाबाई पुरुषोत्तम उदेसी एवं अन्य बनाम मैसर्स रंजीत जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड एवं एक अन्य (1977) 2 एस. सी. सी. 745,के मामले में इस न्यायालय ने एक बार फिर से इस सिद्धांत के लागू होने की व्याख्या की और निम्नलिखित इसकी विभिन्न विशेषताओं को समझायाः–

"6. सामान्य नियम यह है कि अभियोक्ता को लापरवाही साबित करनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में अभियोक्ता को काफी कठिनाई होती है क्योंकि दुर्घटना का सही कारण उसे ज्ञात नहीं है, बल्कि केवल प्रतिअभियोक्ता की जानकारी में है, अभियोक्ता दुर्घटना साबित कर सकता है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि प्रतिअभियोक्ता की ओर से लापरवाही कैसे हुई। इस कठिनाई से बचने के लिए *चीजें खुद बोलती हैं* के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। इस उक्ति के शब्दों का सामान्य तात्पर्य यह है कि दुर्घटना स्वंय में बताती है या अपनी कहानी सुनाती है। ऐसे मामले होते हैं जिनमें दुर्घटना अपने आप बोलती है ताकि अभियोक्ता के लिए यह साबित करना पर्याप्त हो कि दुर्घटना हुई है और इसके अलावा कुछ नहीं। उस स्थिति में प्रतिवादी को यह स्थापित करना होगा कि दुर्घटना उसकी स्वयं की लापरवाही से नहीं बल्कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किसी अन्य कारण से हुई थी। सालमंड आन द लॉ आफ टार्ट्स (15 वां संस्करण) पृ.306 कहता हैः *चीजें खुद बोलती हैं* तब लागू होता है जब भी यह इतना असंभव होता है कि इस तरह की दुर्घटना प्रतिवादी की लापरवाही के बिना हुई होती कि एक उचित जूरी को बिना किसी सबूत के पता चल सके कि ऐसा हुआ था। हाल्सबरी लाज ऑफ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण, खंड 28, पृ.77 में इस स्थिति का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः "सामान्य नियम का एक अपवाद है कि कथित लापरवाही के सबूत का बोझ पहली बार अभियोक्ता पर पड़ता है, जहां पहले से ही स्थापित तथ्य इस तरह के हैं कि उनसे उत्पन्न उचित और प्राकृतिक निष्कर्ष यह है कि शिकायत की गई हानि प्रतिअभियोक्ता की लापरवाही के कारण हुई थी, या जहां लापरवाही के रूप में आरोपित घटना प्रतिअभियोक्ता की ओर से लापरवाही की "अपनी कहानी" बताती है, इस प्रकार बताई गई कहानी स्पष्ट और साफ है।" जहां कहावत लागू की जाती है वहां प्रतिवादी पर यह दिखाने का भार होता है कि वास्तव में उसने लापरवाही नहीं की थी या यह कि दुर्घटना संभवतः इस तरह से हुई होगी जिसमें उसकी ओर से लापरवाही शामिल नहीं थी।"

प्रतिवादी कंपनी उत्तरदायी है

59. ऊपर जो चर्चा की गई है, उससे यह स्पष्ट है कि इस मामले में, प्रश्नगत गोदाम वास्तव में आग में घिर गया और उसमें संग्रहीत शराब नष्ट हो गई ।यहां प्रतिवादी कंपनी को आग में नष्ट शराब पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसे संग्रहीत शराब की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही की हो। इस पहलू के संबंध में, यह तथ्य कि डिस्टिलरी और गोदाम पर विभाग का नियंत्रण और पर्यवेक्षण था, प्रतिवादी को अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रश्नगत आग की घटना को "दैवीय कार्य" नहीं कहा जा सकता।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

60. तब यह मामला इस प्रश्न तक पहुंच जाता है कि क्या आग की घटना को अपरिहार्य दुर्घटना कहा जा सकता है। इस मामले में, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि प्रश्नगत शराब की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सामान्य और उचित आवश्यकता क्या थी और आसपास के कारकों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता था।

60.1 ध्यान देने योग्य बुनियादी कारकों में से एक यह है कि प्रश्नगत वस्तुएं साधारण वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि उनमें अल्कोहल था, जो अपनी प्रकृति के अनुसार अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसलिए, देखभाल की एक विशेष प्रकृति जो सामान्य वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त हो सकती है, प्रश्नगत वस्तुओं के लिए पर्याप्त या उचित नहीं हो सकती है।

60.2 दिनांक 19. 09. 2002 को सहायक विद्युत निरीक्षक ने, जिसने प्रश्नगत परिसर का आवधिक निरीक्षण किया था, दो टिप्पणियां की,उनमें से एक मामूली पहलू यह था कि 'सावधानी' प्लेट को कुछ प्रमुख स्थान पर नहीं रखा गया था, लेकिन दूसरा अवलोकन यह था कि वितरण पैनल के एक बिंदु पर, अर्थ वायरिंग में पतले तार प्रयोग किए गये थे। यह सुझाव दिया गया था कि उसे हटाया जाना चाहिए और स्ट्रिप अर्थ वायरिंग की जानी चाहिए।[17] 01.03.2003 को, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय, अग्निशमन अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ–साथ, देखा कि अग्निशमन उपकरण सही जगह पर थे और काम करने की स्थिति में थे, लेकिन भविष्य में, रिफिलिंग से पहले अग्निशमन केंद्र शाहजहाँपुर में उनका परीक्षण कराया जाना चाहिए; और यह भी सुझाव दिया गया कि अग्निशमन व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए फोम स्थापना प्रदान की जानी चाहिए।[18]

---

17 पैराग्राफ 7.1 उपरोक्त द्वारा

18 पैराग्राफ 7.3 उपरोक्त द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

60.2.1 अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, यह सामने नहीं आ रहा है कि क्या वास्तव में स्ट्रिप अर्थिंग की गई थी, हालांकि प्रतिवादी कंपनी ने आम तौर पर अपने 23.09.2002 दिनांकित पत्र में कहा कि जो सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा इंगित किया गया था वह किया गया था। कब और किस तरीके से स्ट्रिप अर्थ वायरिंग की गई और यह बात सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा, यह भी सामने नहीं आ रहा है कि क्या फोम इंस्टॉलेशन प्रदान किए गए थे, जैसा कि फायर ब्रिगेड अधिकारी ने सुझाव दिया था। अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता को देखते हुए, इनमें से किसी भी पहलू के महत्व का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

60.3 हालांकि यह सच है कि प्रश्नगत आग की घटना से संबंधित रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल सका, लेकिन इस बात के संकेत थे कि आबकारी अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी सहित अधिकारियों ने जले हुए तारों को देखा था और यह बताया गया था कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इन तथ्यों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि गोदाम पुराना था और गोदाम की छत एस्बेस्टस शीट से बनी थी, आबकारी आयुक्त ने 11.07.2006 के अपने आदेश में आशंका व्यक्त किया था कि गोदाम में पुरानी बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो सकता था और उस संदर्भ में, लाइसेंसी ने अच्छी गुणवत्ता के फायर प्रूफ बिजली उपकरणों की व्यवस्था नहीं की थी, जिसके कारण यह घटना हुई।

61. इस समय 'शॉर्ट सर्किट' के संबंध में भी कुछ शब्द प्रासंगिक होंगे।

61.1 एफ. एस. क्रिस्पिन द्वारा तकनीकी शब्दावली[19] में शॉर्ट सर्किट की व्याख्या इस प्रकार की गई हैः –

---

19 11 वां संस्करण पृ. 369

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"शॉर्ट सर्किट (विद्युत): विद्युत परिपथ के पार कम प्रतिरोध का एक मार्ग जो विद्युत प्रवाह के असामान्य प्रवाह का कारण बनता है।"

61.2. मैकग्रो–हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी[20] में शॉर्ट सर्किट की प्रासंगिक विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

"एक विद्युत नेटवर्क या प्रणाली में विभिन्न क्षमता के दो बिंदुओं के बीच अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध की एक असामान्य स्थिति (एक चाप सहित), चाहे वह गलती से या जानबूझकर की गई हो। देखें सर्किट (विद्युत) और इलेक्ट्रिकल इंपेडेंस।

इस शब्द का सामान्य उपयोग विद्युत इन्सुलेशन की विफलता, प्राकृतिक कारणों (बिजली, हवा, आदि), या मानव कारणों (दुर्घटनाएं, घुसपैठ, आदि) से उत्पन्न एक अवांछनीय स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, शॉर्ट सर्किट एक गंभीर स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर सर्किट डिजाइनर को एक विद्युत प्रणाली को डिजाइन करते समय विचार करना चाहिए जो सभी संभव परिचालन स्थितियों का सामना करे। इस प्रकार शॉर्ट सर्किट सर्किट डिजाइन मापदंडों (तार का आकार आदि) के साथ–साथ सुरक्षात्मक प्रणालियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है जो शॉर्टेड तत्व को अलग करने का इरादा रखते हैं। देखें विद्युत सुरक्षा उपकरण –इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड लाइटनिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन।"

61.3 वर्तमान मामले में, यहां तक कि जब आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल सका, तब सहायक आबकारी आयुक्त की दिनांक 02.08.2003[21] की रिपोर्ट में संकेत दिए गए थे कि मलबे में जले हुए केबल देखे गए थे और संभावना शॉर्ट सर्किट की थी, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि बिजली के प्रतिष्ठानों

---

20 6 वां संस्करण खंड 16 पृ. 387

21 पैराग्राफ 11 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(उपकरण और/या वायरिंग) में कुछ खराबी या कमी थी, जिसके कारण करंट का असामान्य प्रवाह हुआ और इस प्रकार आग लगने की घटना हुई।

62. जैसा कि देखा गया है, प्रश्नगत आग की घटना प्रकृति की किसी भी शक्ति के संचालन के कारण नहीं हुई थी। ऐसा भी नहीं है कि आग किसी की शरारत का नतीजा थी। उल्लेखनीय है कि 10.04.2003 को लगभग 12:55 बजे शुरू हुई आग पर अग्निशमन कर्मियों द्वारा 11.04.2003 को सुबह 5:00 बजे तक ही काबू पाया जा सका। जब सभी प्रासंगिक कारकों को संचित रूप से ध्यान में रखा जाता है, तो हमें यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि आग और उसके परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान मानव के नियंत्रण से बाहर था, जिसे अपरिहार्य दुर्घटना कहा जा सकता है। जाहिर है, आग अपने आप नहीं लगी थी और उचित रूप से लगाए गए अग्नि रोधी विद्युत प्रतिष्ठानों और अग्निशमन उपायों के साथ, यह घटना टाली जा सकती थी या कम से कम नुकसान को कम किया जा सकता था।

63. जैसा कि देखा गया है, 'लापरवाही' का दोष हमेशा सक्रिय उपेक्षा या घोर लापरवाही का होना आवश्यक नहीं। बल्कि यह अनजाने में हुई लापरवाही या निष्क्रिय उपेक्षा का भी हो सकता है। यह कहने के लिए अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्नगत माल अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अतिरिक्त और अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है और इस संबंध में कोई शिथिलता या निष्क्रियता अनुज्ञेय नहीं थी। इसे अलग तरह से कहें तो, प्रश्नगत वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक था वह था दूरदर्शिता के साथ सुरक्षा उपायों को बढ़ाना। जब प्रतिवादी गोदाम के भीतर प्रश्नगत माल को आग से बचाने में सक्षम नहीं था और जब अन्य सभी कारकों, जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है, को ध्यान में रखा जाता है, तो उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 709 में अनुध्यात लापरवाही के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुसार प्रतिवादी कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, भले ही वर्तमान मामला प्रतिवादी कंपनी की ओर से लापरवाही या अनजाने में चूक का हो, यह उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 709 के प्रयोजन के लिए 'लापरवाही' की परिभाषा के भीतर आएगा।

63.1 तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और विचारों का समर्थन करने में असमर्थ हैं, जहां इसने मूल रूप से इस आधार पर कार्य किया कि प्रश्नगत घटना 'दैवीय कृत्य' के प्रति संदर्भित थी। जैसा कि देखा गया है, प्रश्नगत घटना प्रकृति की किसी भी शक्ति के कारण नहीं थी और इसे दैवीय कार्य नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2006 को दिए गए उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश की आलोचना, जिसमें की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को संदेह और अनुमान पर आधारित माना गया, को भी अस्वीकृत किया जाना आवश्यक है। जो उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 11.07.2006 के आदेश में पाया था, वह उनके निष्कर्ष थे, *चीजें खुद बोलती हैं* सिद्धांत के प्रयोग में तथ्यों और परिस्थितियों से निकाले गए थे।

64. इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के आदेश को अस्वीकृत करने और दिनांक 11.07.2006 के आदेश में उत्पाद शुल्क आयुक्त के विचारों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।

केवल शराब के मूल्य का बीमा कवरेजः का प्रभाव

65. मामले पर निष्कर्ष निकालने से पहले, प्रतिवादी कंपनी द्वारा केवल शराब के मूल्य पर न कि उसपर देय उत्पाद शुल्क के मूल्य के बारे में ली गई बीमा कवरेज से संबंधित इस मामले की एक और विशेषता के बारे में भी विचार करना उचित होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

66. कथित रूप से, प्रतिवादी कंपनी ने शराब के मूल्य का बीमा कवरेज लिया था और वास्तव में बीमाकर्ता से शराब का ऐसा मूल्य प्राप्त किया था। हालांकि, प्रतिवादी कंपनी ने शराब के इस तरह के मूल्य पर देय उत्पाद शुल्क का बीमा कवरेज नहीं लिया। अपीलार्थी का तर्क है कि जब डिस्टिलर को इक्विटी और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर शराब का मूल्य प्राप्त हुआ है, तो उन्हें संबंधित उत्पाद शुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि शराब के मूल्य का कवरेज लेते समय उत्पाद शुल्क के मूल्य का बीमा कवरेज लेने के लिए प्रतिवादी कंपनी की ओर से चूक अपने आप में लापरवाही है। दूसरी ओर, प्रतिवादी का कथन है कि बीमाकर्ता से प्राप्त दावे को प्रतिफल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं था और कोई बिक्री नहीं हुई थी। यह भी कहा गया कि विधि की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी कि प्रतिवादी कंपनी को उत्पाद शुल्क का बीमा कवरेज भी लेना था।

फिर भी, यह भी कहा गया है कि स्वयं बीमाकर्ता द्वारा बीमा दावे की मंजूरी से पता चलता है कि प्रतिवादी की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। आबकारी आयुक्त ने दिनांक 11.07.2006 के अपने आदेश में पाया है कि डिस्टिलर ने वस्तुओं के मूल्य का बीमा लिया था और इस कारण से भी, यह आग के खिलाफ सभी तरह की देखभाल करने में शिथिल रहा।

67. इस मामले की समग्रता की जांच करने के पश्चात्, हमारा स्पष्ट मत है कि इस मामले में प्रतिवादी कंपनी का दायित्व इस तथ्य से अधिक सुदृढ़ है कि उसने शराब के मूल्य का बीमा कवरेज लिया था और वास्तव में बीमाकर्ता से ऐसा दावा प्राप्त किया था। इसके अलावा, उत्पाद शुल्क देयता के जोखिम का बीमा करने में विफलता प्रतिवादी को उस देयता से बाहर नहीं निकाल सकती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

68. जैसा कि देखा गया है, प्रचलित विधि की योजना में, जब उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर है और कर योग्य बिंदु शराब का उत्पादन या निर्माण है, तो शराब का निर्माण होते ही उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न हो गया था। इसके बाद, जब शराब आग में नष्ट हो गई, लेकिन इसका मूल्य बीमाकर्ता से लिया गया था, तो हमारे विचार से, ये घटनाएं 1910 के अधिनियम की धारा 29 (ङ) के परंतुक के उद्देश्य से एक गोदाम से बिक्री के लिए एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के व्यापक रूप से जारी किए जाने का जवाब देंगी। इसे अलग तरीके से रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा माल के मूल्य पर बीमा दावा प्राप्त करना आग की तारीख से संबंधित था और प्रतिवादी उस दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया जो आग की तारीख पर लागू थी, जिसे गोदाम से जारी करने की तारीख माना जाएगा।

68.1 तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, हम *धर्मपाल सत्यपाल* (उपर्युक्त) के मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे हैं, जिसमें वर्षा के पानी में पान मसाला के नुकसान के कारण शुल्क में छूट की अनुमति नहीं दी गई थी, जब यह पाया गया कि निर्धारिती को बीमा कंपनी द्वारा एक ऐसी राशि से मुआवजा दिया गया था जो शामिल शुल्क से बहुत अधिक थी, लेकिन, वर्तमान मामले में यह कथन कि माल बेचा नहीं गया था और उपभोक्ताओं से शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में नहीं जाते। यह प्रतिवादी कंपनी के लिए आवश्यक उपाय करने और यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना था कि माल के निर्माण के बाद देय उत्पाद शुल्क अपीलार्थी तक पहुंच जाए।

69. मामले के इस भाग का एक और पहलू बना हुआ है, और हम अपीलार्थी से सहमत हैं, कि शराब के मूल्य पर इस तरह का कवरेज लेते समय उत्पाद शुल्क

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

का बीमा कवरेज नहीं लेना प्रतिवादी कंपनी की ओर से लापरवाही के बराबर है। जैसा कि देखा गया है, 'लापरवाही' के अलग–अलग अर्थ हैं और कोई भी विशेष कार्य या चूक, जो तथ्यों के एक विशेष सेट में लापरवाही नहीं हो सकती है, वह भी अन्य तथ्यों के सेट में लापरवाही के बराबर हो सकती है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जहां शराब के निर्माण पर उत्पाद शुल्क देय हो गया था, यह स्पष्ट रूप से एक उचित और विवेकपूर्ण डिस्टिलर के रूप में प्रतिवादी कंपनी से न केवल शराब और उसके मूल्य, बल्कि सरकार के समतुल्य हित, अर्थात् उत्पाद राजस्व की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की उम्मीद की गई थी। आबकारी आयुक्त का यह निष्कर्ष निकालना उचित ठहराया गया कि प्रतिवादी कंपनी अपने उद्देश्य के लिए माल का मूल्य सुरक्षित करने के बाद, आग जैसी किसी भी दुर्घटना के कारण सरकार को होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए सभी आवश्यक देखभाल करने में सचेत और सतर्क नहीं थी।

70. इस तर्क में कि यदि प्रतिवादी कंपनी की ओर से कोई लापरवाही हुई होती तो उस बीमाकर्ता ने बीमा दावे का भुगतान नहीं किया होता, उसकी अपनी कमियां हैं। अग्नि बीमा पॉलिसी के नियम अभिलेख पर नहीं रखे गए हैं और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उस पॉलिसी के नियम और शर्तें क्या थीं जिसके तहत बीमाकर्ता ने प्रतिवादी कंपनी के दावे को स्वीकार किया। दूसरा, जिसे बीमाकर्ता द्वारा बीमा दावे के प्रयोजन के लिए लापरवाही के रूप में नहीं माना गया था, वह आग में शराब के नुकसान के कारण राजस्व की हानि के संबंध में अपीलार्थी पर स्वतः बाध्यकारी उपधारणा नहीं बन जाएगा। प्रतिवादी के इस तरह के तर्क को केवल अस्वीकार किया जा सकता है।

सारांश

71. उपरोक्त चर्चा के सार रूप में हम धारित करते हैं कि –

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(i). अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ, आग में नष्ट हुई शराब पर उत्पाद शुल्क की मांग, कानून द्वारा अधिकृत है और उचित रूप से 1910 के अधिनियम, उत्पाद शुल्क मैनुअल और 1969 के नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उठायी गयी है।

(ii). प्रश्नगत आग की घटना को मानव नियंत्रण से परे की घटना नहीं कहा जा सकता है और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि प्रतिवादी कंपनी पर कोई लापरवाही अधिरोपित नहीं की जा सकती।

(iii). यह तथ्य कि प्रतिवादी कंपनी ने केवल शराब के मूल्य (और उसके बाद उत्पाद शुल्क नहीं) का बीमा कवरेज लिया था और फिर, शराब के मूल्य के संबंध में बीमा दावा प्राप्त किया था, प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ भी संचालित होता है और प्रतिवादी कंपनी की लापरवाही के बारे में निष्कर्ष को मजबूत करता है।

71.1. पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि यह अपील सफल होने की हकदार है और प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपने रिफंड आवेदन पर विचार करने के लिए दाखिल किया गया विविध आवेदन निरर्थक हो जाता है और इस तरह से खारिज किए जाने योग्य है।

निष्कर्ष

72. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और प्रकीर्ण बेंच सं. 4493 वर्ष 2006 में दिनांक 10.04.2017 एवं सि.प्र.सं. 90936 वर्ष 2019 में दिनांकित 06.11.2019 आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है। रिट याचिका तथा प्रतिवादी कंपनी द्वारा दाखिल विविध

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर)

.....

(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

.....

(न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

नई दिल्ली

05 जनवरी, 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।